SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

(एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)

संपत्ति पर ऋण | आवास ऋण

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

ग्राहक का नाम : _____

खाता नंबर। : _____

ऋण/ओवरड्राफ्ट समझौता

यह ऋण/सीमा समझौता _____ में, _____ तिथि _____, 20_____ को और के बीच किया गया है।
("समझौता"):

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, जसोला विहार, दिल्ली -110025 में स्थित है और अनुसूची। में विस्तृत रूप से वर्णित स्थान पर स्थित अपनी शाखा के माध्यम से कार्य करती है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता" कहा जाएगा, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट भी शामिल होंगे) प्रथम पक्ष;

और

द्वितीय पक्ष के उधारकर्ता, जिसका नाम, पता और विवरण अनुसूची। में उल्लिखित है (जिसे इसके बाद "उधारकर्ता" कहा जाएगा, और जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी, प्रशासक, निष्पादक, वारिस और अनुमत असाइनमेंट शामिल होंगे)।
(ऋणदाता और उधारकर्ता को इसके बाद इस प्रकार कहा जाएगा)(सामूहिक रूप से इन्हें "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा जाता है।)

जबकि:

A) उधारकर्ता ने आवेदन पत्र (इसके बाद परिभाषित) के अनुसार उद्देश्य (इसके बाद परिभाषित) के लिए ऋण/सीमा (इसके बाद परिभाषित) प्राप्त करने के लिए ऋणदाता से संपर्क किया है।

B) ऋणकर्ता ने प्रस्ताव दिया है किऋण/ऋण सीमा प्राप्त करने के लिए मुख्य और प्राथमिक साधन के रूप में बंधक दस्तावेज (इसके बाद परिभाषित) निष्पादित करके संपत्ति (इसके बाद परिभाषित) पर सुरक्षा स्थापित करना।

C) उधारकर्ता द्वारा बंधक दस्तावेज़ को मुख्य और प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निष्पादित करने पर सहमति देने पर, ऋणदाता ऋण देने के लिए सहमत हो जाता है, और उधारकर्ता नीचे दिए गए नियमों और शर्तों पर ऋण/सीमा का लाभ उठाने के लिए सहमत हो जाता है।

D) उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि स्वामित्व दस्तावेजों की जमा राशि और घोषणा सह पुष्टिकरणकामसंपत्ति से संबंधित प्रावधान इस समझौते का अभिन्न अंग हैं।

E) बैंक और उधारकर्ता(ओं) के बीच ऋणदाता और उधारकर्ता(ओं) के रूप में संबंध इस समझौते की तारीख से शुरू होगा और तब तक कायम रहेगा जब तक कि इस समझौते के तहत और इसके अनुरूप अन्य सभी दस्तावेजों में उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को देय सभी धनराशि का पूरा भुगतान बैंक को नहीं कर दिया जाता और बैंक को प्राप्त नहीं हो जाता।

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. परिभाषाएं

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए,जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

(i) **"समझौता"**इसका अर्थ है यह ऋण/सीमा समझौता, ऋण/सीमा विवरण सारांश, इस समझौते के भाग के रूप में संलग्न या भविष्य में संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक और समय-समय पर इस समझौते से संलग्न किए जाने वाले कोई भी अनुलग्नक, प्रदर्श या अन्य परिशिष्ट।

(ii) **"आवेदन फार्म"** करेगासंदर्भ के अनुसार, इसका अर्थ है कि उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता को ऋण/सीमा के लिए आवेदन करने और उसका लाभ उठाने हेतु प्रस्तुत किया गया ऋण सुविधा आवेदन पत्र, साथ ही प्रारंभिक ऋण सुविधा आवेदन पत्र और उधारकर्ता/उधारकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समय-समय पर ऋण/सीमा के संबंध में दी गई सभी अन्य जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाएँ, यदि कोई हो।

(iii) **"उधार लेने वाला"**इसका तात्पर्य अनुसूची। में उल्लिखित व्यक्ति/संस्था से होगा, जो इस अनुबंध के साथ संलग्न है।

(iv) **"पार डिफ़ॉल्ट"** इसका वही अर्थ होगा जो इस समझौते के खंड 13.1(एफ) के अंतर्गत इस शब्द का है।

(v) **"प्रभावी तिथि"**इसका अर्थ होगाइस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि।

(vi) **"नियत तारीख"**इसका अर्थ उन तिथियों से होगा जिन पर बकाया दायित्वों के संबंध में कोई राशि देय होती है।

(vii) **"मासिक किस्त"**या "ईएमआई" से तात्पर्य अनुसूची। में निर्दिष्ट प्रत्येक मासिक भुगतान की राशि से है, जो ऋणदाता को ऋण/सीमा की अवधि के दौरान ब्याज सहित ऋण/सीमा को चुकाने के लिए आवश्यक है।

(viii) **"डिफ़ॉल्ट की घटना"**इस समझौते के खंड 13 के तहत वर्णित घटनाओं को संदर्भित किया जाएगा।

(ix) **"दिलचस्पी"**इसका वही अर्थ होगा जो धारा 3.1 में इस शब्द के लिए निर्धारित किया गया है।

(x) **"मुख्य तथ्य विवरण"**या केएफएस" जैसा कि समझौते की अनुसूची आई में अंकित है

(xi) **"ऋण/सीमा"**इसका अर्थ क्रेडिट होगासुविधाइस समझौते की शर्तों के तहत ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को अनुसूची। में निर्दिष्ट राशि तक ऋण दिया जाएगा। स्वीकृत ऋण सुविधा, स्वीकृति पत्र और अनुसूची। में दिए गए विवरण के अनुसार, सावधि ऋण/सीमा या ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में हो सकती है। ओवरड्राफ्ट सुविधा के मामले में, यह सुविधा एक परिक्रामी प्रकृति की होगी, जिसके तहत उधारकर्ता, निकासी क्षमता की उपलब्धता और इस समझौते के अनुपालन के अधीन, स्वीकृत सीमा तक समय-समय पर निकासी, पुनर्भुगतान और पुनः निकासी कर सकता है।

(xii) **"भौतिक विपरीत प्रभाव"**इसका तात्पर्य किसी ऐसी घटना या परिस्थिति के प्रभाव या परिणाम से है जो: (क) उधारकर्ता या किसी व्यक्ति की प्रदर्शन करने की क्षमता के प्रतिकूल है या होने की संभावना हैअनुपालन करनालेनदेन दस्तावेजों के तहत उनके संबंधित दायित्वों के साथ उनके संबंधित शर्तों के अनुसार; या (ख) उधारकर्ता के किसी भी व्यवसाय, संचालन या वित्तीय स्थिति के लिए हानिकारक।

(xiii) **"बंधक दस्तावेज़"**इसका तात्पर्य स्वामित्व विलेखों के जमा होने को दर्ज करने वाले प्रविष्टि ज्ञापन और घोषणा सह पुष्टि से है।कामसंपत्ति के संबंध में

(xiv) **"बकाया दायित्व"**इसमें ऋण की बकाया मूल राशि, या ओवरड्राफ्ट की स्थिति में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा के तहत निकाली गई बकाया राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज और अन्य सभी राशियाँ शामिल होंगी।दिलचस्पीइसमें सभी शुल्क, लागत, प्रतिबद्धताएं, प्रभार, व्यय, स्टांप शुल्क और अन्य सभी राशियां शामिल हैं जो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को समझौते और लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार देय हैं, साथ ही साथ अन्य सभी राशियां जो समझौते में निर्धारित हैं या उधारकर्ता/उधारकर्ताओं द्वारा समझौते के तहत देय हैं।

(xv) **"ओवरड्राफ्ट की सीमा/अधिकतम सीमा"**इसका तात्पर्य इस समझौते के तहत बैंक द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट सीमा से है, जिसे बैंक समय-समय पर उधारकर्ता को आवंटित कर सकता है और निर्धारित कर सकता है।

(xvi) **"ओवरड्राफ्ट सुविधा"**इसका अर्थ है एक निश्चित सीमा तक स्वीकृत परिक्रामी ऋण सुविधा।

(xvii) **"आकर्षण शक्ति"**इसका अर्थ है उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के पास निकासी के लिए उपलब्ध सीमा।

(xviii) **"व्यक्ति"**इसमें व्यक्ति, साझेदारी फर्म, कंपनी, संघ शामिल होंगेव्यक्तियोंजैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उल्लेख और निर्धारित किया गया है, इसमें स्वामित्व वाली संस्था, सीमित देयता भागीदारी और सहकारी समिति शामिल हैं।

(xix) **"संपत्ति"**इसका अर्थ है आवासीय/व्यावसायिक अचल संपत्ति, या जैसा कि आवेदन पत्र में वर्णित है, जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है/संयुक्त रूप से स्वामित्व में है।उधार लेने वालाऔर इसमें कोई भी अचल संपत्ति शामिल मानी जाएगी जिसके अधिकार पर ऋणदाता ने ऋण/सीमा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

उपरोक्त कथन की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
"संपत्ति" में निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

a) यदिकिसी भवन के भाग का, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें किए गए किसी भी परिवर्धन सहित), भवन के साझा क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

b) मेंफ्लैट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें किए गए कोई भी अतिरिक्त भाग), उस भवन के साझा क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट स्थित है/होगा तथा उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा; या

c) मेंकिसी स्वतंत्र संरचना के मामले में, संरचना और वह संपूर्ण भूखंड जिस पर संरचना स्थित है या बनाई जा रही है/बनाई जाएगी; या

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____

सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर_____

d) व्यक्तिगत मकान के मामले में, मकान और वह पूरी जमीन जिस पर मकान बनाया जाएगा।

(xx) **"उद्देश्य"** इस समझौते के खंड 2.2 में उल्लिखित शब्द का वही अर्थ होगा।

(xxi) **"आरबीआई"** इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक।

(xxii) **"प्रतिभूतियां"** इसका तात्पर्य लेनदेन दस्तावेजों की शर्तों के तहत बनाई गई/बनाई जाने वाली सुरक्षा/प्रभार से है।

(xxiii) **"लेन-देनदस्तावेज़"** इसमें उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण/ऋण सीमा के संबंध में निष्पादित या किए गए या किए जाने वाले सभी लिखित दस्तावेज और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे, और समय-समय पर संशोधित किए गए ऐसे प्रत्येक लेनदेन दस्तावेज भी शामिल होंगे।

1.2. व्याख्या

(i) शीर्षक केवल सुविधा के लिए हैं और इस समझौते के अर्थ या व्याख्या को प्रभावित नहीं करेंगे।

(ii) इस समझौते में जब भी "शामिल" या "सहित" शब्द प्रयोग किए गए हों, तो उन्हें "बिना किसी सीमा के" शब्दों के साथ प्रयुक्त माना जाएगा। किसी भी खंड संख्या के संदर्भ में उसके सभी उप-अनुच्छेद और उपखंड शामिल होंगे।

(iii) इस समझौते के सभी नियम और शर्तें इसके लिखित प्रावधानों के अनुसार समझी जाएंगी; और यदि कोई नियम या शर्त अस्पष्ट हो, तो पक्षों के आशय के अनुसार समझी जाएगी।

(iv) इस समझौते या किसी अन्य दस्तावेज का संदर्भ देने में इनमें से किसी भी प्रकार का परिवर्तन, नवीनीकरण या प्रतिस्थापन शामिल है।

(v) इस समझौते में उल्लिखित खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों का तात्पर्य इसी समझौते के खंडों, अनुसूचियों और अनुलग्नकों से है।

(vi) संदर्भकिसी क़ानून के संदर्भ में उस क़ानून के अंतर्गत या उसके अनुसार बनाए गए विनियम, नियम, आदेश, सूचनाएँ या आचार संहिताएँ शामिल होती हैं, और किसी क़ानून या विनियम के संदर्भ में अन्य संदर्भ भी शामिल होते हैं।उस क़ानून या नियम में किए गए सभी संशोधनों (चाहे बाद के क़ानून द्वारा या अन्यथा) और उस क़ानून या नियम के स्थान पर पारित क़ानून या नियम के संदर्भों पर लागू होगा।

(vii) मेंऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी मामले की प्रासंगिकता, तर्कसंगतता या घटित होने के संबंध में किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, जिसमें कोई घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, दावा, उल्लंघन, चूक या अन्य कोई भी बात शामिल है, ऋण/सीमा के संबंध में उपरोक्त में से किसी की भी प्रासंगिकता, तर्कसंगतता या घटित होने के बारे में ऋणदाता की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

2. ऋण/सीमा

2.1. आवेदन पत्र में उधारकर्ता द्वारा दिए गए कथनों और प्रस्तुतियों पर भरोसा करते हुए, ऋणदाता एतद्द्वारा उधारकर्ता को अनुसूची । में उल्लिखित ऋण/सीमा उपलब्ध कराने के लिए सहमत है, और उधारकर्ता एतद्द्वारा इस समझौते में उल्लिखित तरीके और नियमों एवं शर्तों पर ऋणदाता से यह ऋण/सीमा प्राप्त करने के लिए सहमत है।

2.2. यह ऋण/सीमा अनुसूची। में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान की जाती है। इसके लिए ("उद्देश्य")।

2.3. बैंक, उधारकर्ता(ओं) के अनुरोध, अभ्यावेदन, वारंटी, अनुबंध और वचनबद्धताओं के आधार पर, जैसा कि इसमें और सीमा के लिए आवेदन तथा उधारकर्ता(ओं) द्वारा सीमा के संबंध में निष्पादित या प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों में निहित है, उधारकर्ता(ओं) को ऋण देने के लिए सहमत है और उधारकर्ता(ओं) इस समझौते और अनुसूची। में पूर्ण रूप से निहित नियमों और शर्तों पर बैंक से सीमा तक ऋण लेने के लिए सहमत है।

2.4. बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसी अतिरिक्त शर्तों और नियमों के अधीन बढ़ा सकता है, जिन्हें बैंक उचित समझे, जिसमें उधारकर्ता की साख का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

2.5. उधारकर्ता एतद्द्वारा अनुसूची । में उल्लिखित उद्देश्य के लिए ही ऋण/सीमा का उपयोग करने के लिए सहमत है।

2.6. बैंक, उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने पूर्ण विवेकाधिकार से, ओवरड्राफ्ट सीमा और/या, जैसा भी मामला हो, परिचालन सीमा को ऐसी अतिरिक्त शर्तों और नियमों के अधीन बढ़ा सकता है, जिन्हें बैंक उचित समझे, जिसमें उधारकर्ता की साख का पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

2.B ओवरड्राफ्ट खाते के संचालन का तरीका

2.7. जब तक उधारकर्ता(ओं) और बैंक के बीच अन्यथा सहमति न हो, बैंक उधारकर्ता के ओवरड्राफ्ट खाते में एकमुश्त राशि के रूप में लिमिट जमा करेगा।

2.8. उधारकर्ता को स्वीकृत सीमा तक चेक या निकासी के अन्य तरीकों से राशि निकालने की सुविधा होगी।

2.9. यह समझा जाता है कि संवितरण से संबंधित शुल्क (जिसमें भुगतान आदेश या मांग ड्राफ्ट जारी करने या लाभार्थी द्वारा उस पर प्राप्त राशि की वसूली के शुल्क शामिल हैं) उधारकर्ता(ओं) द्वारा वहन किए जाएंगे।

2.10. बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी समय, सीमा के अंतर्गत कोई भी राशि तब तक वितरित नहीं कर सकता जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों:

2.11. ऋण संबंधी दस्तावेज उधारकर्ता(ओं) द्वारा विधिवत रूप से निष्पादित कर बैंक को सौंप दिए गए हैं;

2.12. उधारकर्ता बैंक को संपत्ति पर अपने स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व का आश्वासन देता है;

2.13. बैंक अपने विवेकानुसार किसी अन्य दस्तावेज या लिखित सामग्री की मांग कर सकता है।

2.14. संबंधित अधिकारियों से सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ प्रस्तुत करना, जिनमें निगमों से प्राप्त स्वीकृतियाँ और प्रमाण पत्र शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

2.15. बैंक द्वारा किसी भी राशि का वितरण करने के बाद, वह सीमा के अंतर्गत किसी भी अतिरिक्त राशि का वितरण तब तक नहीं कर सकता जब तक कि बैंक के पूर्ण विवेकाधिकार से ऐसी अतिरिक्त राशि के वितरण से पहले निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन न किया जाए:

i. चूक की कोई घटना घटित नहीं हुई होगी;

ii) उधारकर्ता(ओं) को पूर्व संवितरणों के उपयोग का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा;

iii) उधारकर्ता बैंक द्वारा अपेक्षित बीमा पॉलिसी (पॉलिसियों) को बैंक के पक्ष में हस्तांतरित करेगा;

iv) उधारकर्ता को बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार अपने आवधिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे।

v) उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से अपेक्षित सभी या कोई अन्य दस्तावेज या लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जो उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) पर बाध्यकारी होंगे।

2.16. उधारकर्ता बैंक द्वारा मांगे जाने पर और अनुसूची। के अनुसार राशि का भुगतान करेगा।

2.17. उपरोक्त या इस समझौते में कहीं और इसके विपरीत कही गई किसी भी बात के बावजूद, बैंक को उधारकर्ता को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की वार्षिक आधार पर समीक्षा करने का अधिकार होगा ("समीक्षा")। बैंक द्वारा उक्त खाते की समीक्षा में उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मार्जिन की तुलना में बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं की समीक्षा, बैंक की नीति के अनुसार गणना की गई सुरक्षा का मूल्य, उधारकर्ता की नवीनतम वित्तीय स्थिति और/या बैंक द्वारा प्रासंगिक समझे जाने वाले किसी अन्य कारक और/या दस्तावेजों की समीक्षा शामिल हो सकती है। ऐसी समीक्षा को सक्षम बनाने के लिए, उधारकर्ता को समीक्षा से कम से कम एक माह पहले बैंक को वे सभी विवरण और जानकारी प्रदान करनी होगी जो बैंक द्वारा आवश्यक हों। समीक्षा के बाद, बैंक अपने विवेकानुसार ओवरड्राफ्ट सुविधा को बंद करने और बकाया राशि के तत्काल भुगतान की मांग करने या बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले शर्तों के अधीन ओवरड्राफ्ट सुविधा जारी रखने का हकदार होगा, जिसमें अवधि और/या परिचालन सीमा में संशोधन शामिल है, और यह निर्णय उधारकर्ता को बिना किसी सूचना के लिया जाएगा। उधारकर्ता सहमत है कि वह हमेशा (विशेष रूप से भुगतान के लिए कोई चेक प्रस्तुत करने से पहले) परिचालन सीमा और बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं के बारे में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों से अवगत रहेगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। यदि उपरोक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप परिचालन सीमा में संशोधन होता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि में संशोधन होता है, तो बैंक उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा की संशोधित शर्तों की सूचना देगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे पत्रों/संदेशों से बाध्य होने के लिए सहमत और वचनबद्ध है। यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लेना जारी नहीं रखना चाहता है, तो उधारकर्ता को बैंक को कम से कम 30 दिन

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

पहले लिखित सूचना देनी होगी।

3. दिलचस्पी

3.1. ऋण लेने वाले से ऋण/सीमा के वितरण की तिथि से अनुसूची । ("ब्याज") में निर्दिष्ट दर पर ब्याज लिया जाएगा।

3.2. सावधि ऋण के मामले में, ब्याज की गणना बकाया मूलधन पर की जाएगी और इसका भुगतान मासिक/त्रैमासिक जैसी निर्दिष्ट आवृत्ति पर किया जाएगा।

3.3. ओवरड्राफ्ट की स्थिति में, उधारकर्ता उक्त खाते में बकाया औसत मासिक राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। प्रत्येक माह का ब्याज जोड़कर उस माह के अंत में उक्त खाते से डेबिट किया जाएगा और इसे ओवरड्राफ्ट सुविधा के तहत अतिरिक्त निकासी माना जाएगा तथा इस पर तदनुसार ब्याज लगेगा। उपरोक्त के बावजूद, प्रत्येक माह के अंत में उक्त खाते से डेबिट की गई ब्याज राशि का भुगतान उधारकर्ता द्वारा निर्धारित नियत तिथि से पहले उक्त खाते में डेबिट किए गए ब्याज के बराबर राशि जमा करके किया जाएगा। यदि उधारकर्ता परिचालन सीमा से अधिक राशि निकालकर ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग करता है, तो उधारकर्ता परिचालन सीमा से अधिक निकाली गई या उपयोग की गई राशि को तुरंत बैंक को वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा, ऐसा न करने पर उधारकर्ता उपरोक्त ब्याज के अतिरिक्त, अनुसूची। में निर्दिष्ट दर पर पूरी बकाया राशि पर प्रतिस्थापन ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.4. शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड अपने विवेकाधिकार पर बाद में कभी भी बंधक ऋणों की रीसेट आवृत्ति को बदल सकता है।

3.5. ब्याज की परिवर्तनशील दर: ऋणदाता को ऋण अवधि/सीमा के दौरान अपनी नीति, बाजार की स्थितियों और/या लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, किसी भी समय और समय-समय पर ब्याज दर में संशोधन करने का अधिकार होगा। ऋणदाता ब्याज दर में परिवर्तन की सूचना ऋणकर्ता को समय रहते देगा।

3.6. निश्चित ब्याज दर: यदि उधारकर्ता निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुनता है, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि पर ऋण/सीमा पर लागू ब्याज दर, केएफएस में निर्दिष्ट अवधि के दौरान निश्चित रहेगी।

3.7. उधारकर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि ब्याज के भुगतान के लिए एक उपयुक्त विधि निकालने हेतु बैंक ने एक उचित और उपयुक्त आधार अपनाया है और उधारकर्ता इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहित ओवरड्राफ्ट सुविधा का पुनर्भुगतान करने के लिए सहमत है।

3.8. ऋण खाते से राशि डेबिट होने की तारीख से और बैंक द्वारा ऋण राशि के वितरण के साथ ही ऋण खाते से राशि डेबिट होने की तारीख से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा और महीने के आखिरी दिन ऋण खाते में जमा कर दिया जाएगा।

3.9. सावधि ऋण पर ब्याज की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी।अनुसूची 1 में उल्लिखित ऋण/सीमा के लिए ब्याज दर, जिसे अगले रुपये तक पूर्णांकित किया जाएगा और मासिक आधार पर गणना की जाएगी, और अन्य सभी शुल्कों की गणना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के वर्ष या लीप वर्ष में 366 दिनों (तीन सौ छियासठ) के आधार पर या मानक बैंकिंग प्रथा के अनुसार उस वर्ष के वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

3.10. ऋण सीमा पर ब्याज की गणना की जाएगी और उसे ऋण खाते से डेबिट किया जाएगा।

(i) अनुसूची 1 में बताए गए अंतरालों पर
(ii) एक वर्ष में 365 या 366 (लीप वर्ष के मामले में) दिनों को आधार मानते हुए
(iii) इस अनुबंध में अनुसूची। में अधिक विस्तार से वर्णित ब्याज दर पर या बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर ब्याज लिया जाएगा।
(iv) दिन के अंत में बकाया वास्तविक राशि पर।
(v) ऋण खाते से राशि डेबिट होने की तारीख से ब्याज का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा।

3.11. हालांकि, यदि उधारकर्ता ऋण/सीमा को जब्त करने का इरादा रखता है, तो ब्याज की गणना वास्तविक ज़ब्ती की तारीख तक की जाएगी।

3.12. यदि उधारकर्ता अपनी ब्याज दर में बदलाव करना चाहता है, चाहे यह बदलाव पहले चुनी गई ब्याज दर से बदलकर दूसरी ब्याज दर अपनाने के कारण हो या किसी अन्य कारण से, तो बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने पर वह ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे बैंक द्वारा आवश्यक पूरक दस्तावेज़ जमा करने होंगे और समय-समय पर लागू होने वाले रूपांतरण शुल्क का भुगतान करना होगा, जो बकाया राशि के प्रतिशत के रूप में हो सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता द्वारा एक प्रकार की ब्याज दर से दूसरी ब्याज दर में परिवर्तन अगली तिमाही से ही प्रभावी होगा।

3.13. भुगतान में चूक की सभी राशियाँ (अर्थात उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को देय तिथि पर भुगतान न की गई राशियाँ), जिनमें ऋण खाते में डेबिट की गई लागतें, शुल्क और व्यय शामिल हैं, पर बिना किसी संशोधन का कारण बताए विलंब शुल्क लागू होगा और इसके बाद अनुसूची। के अनुसार संशोधित दर(ओं) पर ब्याज और विलंब शुल्क लगेगा।

3.14. ऋणकर्ता द्वारा यहाँ दी गई किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन करने पर, जिसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, ऋणकर्ता पर नीचे दी गई अनुसूची। में उल्लिखित दर से देय राशि (जो देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पर बकाया शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क संबंधित नियत तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान/दोषमुक्ति की तिथि तक लागू रहेगा। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व ऋणकर्ता को यह बचाव करने का अधिकार नहीं देगा कि नीचे उल्लिखित कोई भी चूक नहीं हुई है।

4. भुगतान का विवरण

4.1 ऋणदाता, ऋण/ऋण राशि का वितरण एकमुश्त या उपयुक्त किश्तों/खंडों में करेगा, जैसा कि उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच आपसी सहमति से तय किया जाएगा।

4.2 ऋण वितरण का तरीका और ढंग पूरी तरह से ऋणदाता/बैंक के विवेक पर निर्भर करता है।

4.3 दिलचस्पीऋण/सीमा पर देय राशि ऋणदाता के पक्ष में ऋण/सीमा के वितरण की तिथि से ही अर्जित होना शुरू हो जाएगी।

4.4 इस समझौते के तहत ऋण लेने का उधारकर्ता का अधिकार अनुसूची । में निर्दिष्ट ऋण/सीमा की वैधता अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा। यदि अनुसूची। (जैसा लागू हो) में निर्दिष्ट वैधता अवधि या ऋणदाता द्वारा निर्धारित किसी अन्य अवधि के भीतर ऋण/सीमा का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, तो ऋणदाता उधारकर्ता को सूचना देकर ऋण/सीमा के आगे के वितरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।

4.5 यदि इस समझौते, किसी अन्य लेनदेन दस्तावेज़ या किसी अन्य माध्यम से उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को कोई राशि देय रहती है, तो ऋणदाता अपने विवेकाधिकार से ऋण/सीमा की राशि को कम कर सकता है और/या ऐसी राशि को ऋण/सीमा के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, और ऐसे सभी समायोजन उधारकर्ता को किए गए संवितरण/भुगतान के रूप में माने जाएंगे।

4.6 ऋणदाता द्वारा वितरण से संबंधित किसी भी मामले में लिया गया निर्णय अंतिम, निर्णायक और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

5. चुकौती

5.1 Theऋणकर्ता को बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के तथा किसी भी प्रकार की छूट या प्रतिदावे का दावा किए बिना, देय तिथियों पर सभी बकाया राशि और अन्य सभी बकाया दायित्वों का पूर्ण भुगतान करना होगा। देय तिथियों पर बकाया दायित्वों का शीघ्र और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के अपने दायित्व और उत्तरदायित्व के संबंध में ऋणकर्ता को कोई सूचना, अनुस्मारक या सूचना नहीं दी जाएगी।

5.2 बकाया राशि का पुनर्भुगतानलेनदेन दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता के प्रति दायित्वों का भुगतान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:

(i) इलेक्ट्रॉनिक समाशोधनआरबीआई द्वारा अधिसूचित प्रणाली;
(ii) स्थायी निर्देशों का विवरणजिनमें से कुछ का उल्लेख अनुसूची । में किया गया है, जिनका भुगतान उधारकर्ता के ऋणदाता के पास मौजूद खाते से सीधे डेबिट के लिए किया जाएगा।
(iii) समझौते की अनुसूची। में निर्दिष्ट कोई अन्य तरीका

5.3 The ऋणदाता को अपने विवेकानुसार किसी भी समय बकाया दायित्वों के भुगतान की शर्तों की समीक्षा करने और उन्हें पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा लिखित रूप में सूचित किए गए संशोधित अनुसूची के अनुसार बकाया दायित्वों का भुगतान करना होगा।

5.4 Theदेय तिथि(तिथियों) या ईएमआई की राशि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, या यदि ऋणदाता को किसी भी कारण से डेबिट निर्देश जारी करने में कोई कठिनाई/असुविधा/बाधा आ रही हो, या यदि ऋणदाता द्वारा अपने विवेकानुसार किसी भी समय आवश्यक हो, तो उधारकर्ता को आदेश, अनुबंध और/या अन्य दस्तावेजों को तुरंत प्रतिस्थापित करना होगा और ऋणदाता की संतुष्टि के अनुरूप नए आदेश, अनुबंध और/या अन्य दस्तावेज जारी करने होंगे।

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

5.5 उधारकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान/पुनर्भुगतान के लिए चुने गए तरीके के बावजूद, ऋणदाता, जैसा वह उचित और आवश्यक समझे, आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली के माध्यम से, स्वयं या इसके लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, ईएमआई और बकाया दायित्वों में शामिल अन्य सभी राशियों के भुगतान और/या वसूली की मांग करने का हकदार होगा।

5.6 The ऋणदाता अपने विवेकाधिकार से उधारकर्ता को भुगतान के किसी वैकल्पिक तरीके को अपनाने या उस पर स्विच करने के लिए कह सकता है और उधारकर्ता को बिना किसी आपत्ति या देरी के ऐसे अनुरोध का पालन करना होगा।

5.7 इस समझौते में किसी भी विपरीत प्रावधान के होते हुए भी, बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, सीमा की अवधि के दौरान किसी भी समय उधारकर्ता को 7 (सात) स्पष्ट कार्यदिवसों का लिखित नोटिस देकर सीमा का भुगतान किया जा सकता है। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, उधारकर्ता द्वारा बैंक को ओवरड्राफ्ट सुविधा का तुरंत भुगतान किया जाना अनिवार्य हो जाएगा।

5.8 यदि ऊपर बताए अनुसार पहले से मांग नहीं की गई है, तो उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को देय सीमा (मूलधन, उस पर ब्याज और इस समझौते के अनुसार उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को देय कोई अन्य शुल्क, प्रीमियम, फीस, कर या अन्य देय राशि सहित) का पुनर्भुगतान सीमा की अवधि में, नीचे दिए गए तरीके से किया जाना चाहिए।

5.9 समायोजन - उपरोक्त कथनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत और पुष्टि करता है कि यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा या किसी अन्य ऋण/सीमा/सुविधा के तहत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो बैंक या उसकी किसी सहायक/संबद्ध संस्था को कानून द्वारा प्राप्त किसी भी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त, बैंक उधारकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत अपने विशिष्ट अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकाधिकार पर और उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के, उधारकर्ता के किसी भी खाते (स्थिर जमा खाते सहित) में जमा किसी भी अन्य धन या राशि का उपयोग बैंक या उसकी किसी सहायक/संबद्ध संस्था के साथ बकाया राशि के भुगतान के लिए कर सकता है। इस समझौते के तहत बैंक के अधिकार, बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों (जिसमें समायोजन के अन्य अधिकार भी शामिल हैं) के अतिरिक्त हैं।

5.10 अंतिम लाभ - यदि उधारकर्ता किसी सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनता है या अपने नियोक्ता से सेवानिवृत्ति से पहले इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर, या नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से उसकी नौकरी समाप्त करने पर, या उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से नियोक्ता की सेवा से इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने पर कोई लाभ प्रदान करने वाला कोई प्रस्ताव स्वीकार करता है, तो उधारकर्ता द्वारा बैंक को पूरी बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा। ऐसे मामले में, बकाया राशि का भुगतान नियोक्ता से ऐसी योजना या प्रस्ताव या किसी अंतिम लाभ के तहत प्राप्त होने वाली राशि से किया जा सकता है। हालांकि, यदि उक्त राशि बैंक को पूरी राशि चुकाने के लिए अपर्याप्त हो, तो उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय शेष राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा। उधारकर्ता एतद्द्वारा बैंक को अपने नियोक्ता से सीधे संपर्क करने और उक्त राशि प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है।

6. ऋण/सीमा का पूर्व भुगतान

6.1 The ऋणदाता अपने विवेकानुसार और पूर्व-भुगतान शुल्क आदि संबंधी ऐसी शर्तों पर, जैसा वह निर्धारित करे, किश्तों का पूर्व-भुगतान/त्वरित भुगतान करने की अनुमति दे सकता है। यदि ऋणदाता अनुमति देता है, तो उधारकर्ता को ऋण/सीमा की पूरी राशि का पूर्व-भुगतान करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देनी होगी और अनुसूची । में उल्लिखित लागू पूर्व-भुगतान शुल्क का भुगतान ऋणदाता को करना होगा, जो ऋणदाता द्वारा समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हो सकता है।

6.2 यदि उधारकर्ता सभी बकाया राशि का भुगतान करके और इस ओवरड्राफ्ट सुविधा समझौते को समाप्त करके ओवरड्राफ्ट सुविधा को समय से पहले बंद करना चाहता है, तो उधारकर्ता अनुसूची । में दर्शाई गई परिचालन सीमा के प्रतिशत के अनुसार बैंक को समय से पहले बंद करने का शुल्क अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. स्थितियाँसंवितरण के लिए पूर्व उदाहरण

7.1 निम्नलिखितऋण/ऋण सीमा या उसके किसी भी भाग के वितरण के लिए निम्नलिखित शर्तें पूर्व शर्त होंगी:

(i) पहले भुगतान से पहले, धारा 8 में बताए गए अनुसार सुरक्षा का निर्माण किया जाना चाहिए था।

(ii) कोई चूक या क्रॉस चूक या महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव की घटना घटित नहीं होनी चाहिए।

(iii) ऋण/सीमा या उसके किसी भाग के वितरण के अनुरोध के समय, उधारकर्ता को ऋण/सीमा या उसके किसी भाग के वितरण से प्राप्त धनराशि के प्रस्तावित उपयोग के ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे जो ऋणदाता को संतोषजनक प्रतीत हों, और जब भी ऋणदाता द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो कि ऋण/सीमा का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।

(iv) ऐसी कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो उधारकर्ता के लिए इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना दें।

(v) ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा सभी लेनदेन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए।

(vi) ऋण लेने वाला व्यक्ति बैंक की साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बैंक ऋण लेने वाले व्यक्ति की साख का आकलन करने के लिए, आवश्यकतानुसार, जांच-पड़ताल करने या करवाने का हकदार होगा।

(vii) ऋण लेने वाले व्यक्ति को अपने विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, मुकदमे की कार्यवाही, परिसमापन/दिवालियापन की कार्यवाही या लंबित जांच के बारे में बैंक को सूचित करना होगा।

(viii) बैंक को किसी भी प्रकार का संवितरण करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह राशि अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्देश्य और उधारकर्ता द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ही आवश्यक है, और उधारकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के संवितरण से प्राप्त धनराशि के प्रस्तावित उपयोग के संबंध में बैंक को संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

(ix) यदि कोई पूर्व संवितरण हुआ हो, तो उधारकर्ता को बैंक को उस राशि के उपयोग के संबंध में संतुष्ट करना होगा।

8. सुरक्षा

8.1 Theऋण लेने वाला इस बात से सहमत है और वचन देता है कि ऋणदाता को संपत्ति पर पहला और अनन्य प्रभार प्राप्त होगा और ऋण लेने वाला ऋणदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में संपत्ति में कोई अन्य भार, प्रभार या सुरक्षा हित नहीं बनाएगा।

8.2 मेंयदि किसी भी प्रतिभूति का मूल्य अपर्याप्त/गलत पाया जाता है, तो उधारकर्ता को ऋणदाता द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने का निर्देश दिया जाएगा।

8.3 The ऋण/ऋण सीमा के संबंध में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई प्रतिभूतियां विधिवत रूप से पूर्ण की जाएंगी और ऋणदाता के लिए निरंतर प्रतिभूतियों के रूप में रहेंगी तथा वे उधारकर्ता पर बाध्यकारी होंगी।

8.4 Theउधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बकाया दायित्वों का ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण भुगतान होने तक और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को प्रतिभूतियों के संबंध में लिखित रूप में मुक्ति/मुक्ति देने की सहमति देने तक, उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या खातों के किसी भी निपटान द्वारा प्रतिभूतियों को मुक्त/मुक्त नहीं किया जाएगा।

8.5 ये प्रतिभूतियाँ, ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता के बकाया के संबंध में किसी भी समय धारित किसी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होंगी और उसका उल्लंघन नहीं करेंगी, और ऋणदाता को तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तक किबीच के सभी खातेऋणदाता और उधारकर्ता के बीच ऋण/सीमा के संबंध में अंततः समझौता हो जाता है।

8.6 The उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि प्रतिभूतियाँ उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को किसी भी कारण से, चाहे वर्तमान हो या भविष्य में, देय सभी अन्य राशियों के लिए भी सुरक्षा होंगी, जिसमें उधारकर्ता की किसी भी प्रकार की देनदारी, चाहे वह अकेले हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ज़मानतदार या सह-देनदार के रूप में हो।

8.7 The ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता को एक पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करेगा, जिसमें ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के तहत बनाई गई सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने और उससे संबंधित अन्य सभी कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

8.8 इस समझौते के तहत देय सीमा, ब्याज, शुल्क, प्रभार और अन्य सभी राशियों का पुनर्भुगतान अनुसूची । में निर्दिष्ट संपत्ति पर बंधक द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। (क) यदि देय राशि मौजूदा बंधक के बाजार मूल्य से अधिक हो जाती है, (ख) बंधक नष्ट हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसका मूल्य घट जाता है या उसमें गिरावट आ जाती है, या (ग) बैंक की राय में बंधक का स्वामित्व अस्पष्ट, अप्रसांगिक या भारित हो जाता है, तो उधारकर्ता बैंक से लिखित सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक को स्वीकार्य अतिरिक्त या वैकल्पिक बंधक प्रस्तुत करेगा। बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर बंधक बनाने के तरीके और स्वरूप का निर्णय लेने का हकदार होगा, और उधारकर्ता सीमा के लिए सभी

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

बांड, वचन पत्र और ऐसे सभी दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी/अंडरटेकिंग और समझौते निष्पादित करेगा जो इस सीमा की अवधि के दौरान बैंक द्वारा किसी भी समय आवश्यक हो सकते हैं।

9. गारंटी

सी मेंयदि ऋणदाता को ऐसा करने की आवश्यकता हो, तो उधारकर्ता एतद्द्वारा ऋणदाता द्वारा अपेक्षित व्यक्तियों द्वारा निष्पादित और ऋणदाता की संतुष्टि के अनुरूप रूप और तरीके से गारंटी प्राप्त करने के लिए सहमत होता है।

10. वाचाएं

10.1 विशेष सकारात्मक अनुबंध

ऋण लेने वाला ऋणदाता के साथ यह वचनबद्ध होता है कि ऋण की अवधि/सीमा के दौरान:

(i) ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभूतियों का मूल्य कम न हो।

(ii) उधारकर्ता लागू कानूनों के अनुसार सभी लागतों, शुल्कों, खर्चों, करों और ऐसे अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा।

(iii) सामान्य चालू खाते के लिए लागू होने वाले अन्य शुल्क, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान रोकने का शुल्क आदि, ओवरड्राफ्ट खाते के लिए भी लागू होंगे।

(iv) ऋणकर्ता द्वारा बैंक को भुगतान किए गए/देय सभी शुल्क अप्रतिदेय हैं और ऋणकर्ता एतद्द्वारा किसी भी परिस्थिति में बैंक से अपने द्वारा भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की वापसी का दावा न करने का वचन देता है। यदि ऋणकर्ता ने ओवरड्राफ्ट सुविधा का पूर्ण उपयोग करने से पहले इस समझौते में वर्णित किसी भी प्रकार की चूक की है, तो बैंक द्वारा ऋणकर्ता को ओवरड्राफ्ट सुविधा के अंतर्गत कोई और निकासी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामले में, अनुसूची । में उल्लिखित ओवरड्राफ्ट सुविधा राशि के बावजूद, खाते में बकाया राशि को इस समझौते के प्रयोजन के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा माना जाएगा। इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक को किसी भी समय या समय-समय पर, ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि की समीक्षा करने और उसे पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा, ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक जैसा बैंक अपने विवेक से उचित समझे। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता के लिए उपलब्ध अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा और/या परिचालन सीमा को बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित तरीके से समायोजित किया जाएगा और इसकी सूचना उधारकर्ता को दी जाएगी।

(v) बैंक इस समझौते के तहत उधारकर्ता(कों) द्वारा देय अन्य सभी राशियों (ब्याज, कर, शुल्क, स्टाम्प शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, लॉगिन शुल्क, लागत, कर और अन्य प्रभार, दावे और व्यय, जिनमें बैंक के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा को लागू करने या लागू करने के प्रयास में उधारकर्ता(कों) द्वारा किए गए व्यय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) को उधारकर्ता(कों) के ऋण खाते से डेबिट करने का हकदार होगा, जब तक कि उधारकर्ता(कों) द्वारा बैंक को अलग से प्रतिपूर्ति न कर दी जाए। ऐसी राशियाँ ऋण सीमा का हिस्सा होंगी।

(vi) भुगतान में चूक होने पर (अर्थात उधारकर्ता(ओं) द्वारा बैंक को देय तिथि पर भुगतान न की गई) ऋण खाते में डेबिट की गई लागत, शुल्क और व्यय सहित सभी राशियों पर बिना किसी कारण बताए दंडात्मक ब्याज/शुल्क लागू होंगे और इसके बाद ब्याज और दंडात्मक शुल्क अनुसूची के अनुसार संशोधित दर(ओं) पर लागू होंगे।

(vii) उधारकर्ता द्वारा यहां दी गई किसी भी शर्त और नियम का उल्लंघन करने पर, जिसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं, उधारकर्ता पर अनुसूची । में उल्लिखित दर से संपूर्ण देय राशि (जो देय है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है) पर प्रतिस्थापन/दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज संबंधित नियत तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान/दोषमुक्ति की तिथि तक लागू रहेगा। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व उधारकर्ता को यह बचाव करने का अधिकार नहीं देगा कि नीचे उल्लिखित कोई भी दोषमुक्ति नहीं हुई है।

(viii) यदि उधारकर्ता ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं करता है या ओवरड्राफ्ट सुविधा का सीमित उपयोग करता है, तो उधारकर्ता बैंक को अनुसूची । में उल्लिखित गैर-उपयोग शुल्क का भुगतान करेगा।

(ix) उक्त खाते पर उधारकर्ता द्वारा देय अन्य शुल्क, उक्त खाते के समान खातों पर लागू होने वाले खाता खोलने के नियमों और शर्तों के अनुसार होंगे।

(x) बैंक, उधारकर्ता(कों) से ऋण लेने की शर्त के संबंध में बैंक द्वारा किए गए किसी भी शुल्क या लागत, या बैंक द्वारा वहन किए गए दावों की वसूली करने का हकदार होगा, जिसमें इस समझौते के निष्पादन और मुहरबंदी, नवीकरण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, कानूनी शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और इस समझौते के अनुसार किसी भी अन्य दस्तावेज़ीकरण या सुरक्षा निर्माण के साथ-साथ लागू कर भी शामिल हैं।

(xi) ऋण लेने वाला व्यक्ति, ऋणदाता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को, ऋण लेने वाले व्यक्ति की चल और अचल संपत्तियों के निरीक्षण के उद्देश्य से, ऋण लेने वाले व्यक्ति के कार्यालय में नि:शुल्क प्रवेश की अनुमति देगा।

(xii) ऋणकर्ता, ऋणदाता को निम्नलिखित की लिखित सूचना तुरंत देगा: (i) ऋणकर्ता और किसी व्यक्ति या सरकारी निकाय या प्राधिकरण के बीच व्यवसाय या प्रतिभूतियों से संबंधित कोई विवाद; (ii) प्रतिभूतियों के विरुद्ध कोई कुर्की या निष्पादन; (iii) ऋणकर्ता की ऋण/सीमा को इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित तरीके से चुकाने की क्षमता को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण परिस्थिति; (iv) उसके पते में परिवर्तन या उससे संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन।

(xiii) ऋण लेने वाला, ऋणदाता के अनुरोध पर, ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करेगा, निष्पादित करेगा और लागू करेगा, जिन्हें ऋणदाता या तो प्रदान की गई सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए या इस समझौते के आशय को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे।

(xiv) ऋण लेने वाला यह पुष्टि करेगा कि ऋण/ऋण राशि के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की सही प्रतियां वास्तविक हैं। ऋणदाता किसी भी समय ऐसी सभी प्रतियों के मूल सत्यापन की मांग कर सकता है। ऋणदाता के पास मौजूद ऐसी कोई भी प्रति केवल ऋण लेने वाले द्वारा दी गई मानी जाएगी।

(xv) ऋण लेने वाला व्यक्ति, ऋण/ऋण सीमा और/या ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा के संबंध में ऋण लेने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में किसी भी कमी की भरपाई करने की सभी लागतों को वहन करेगा।

(xvi) ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर ऋण/सीमा का अंतिम उपयोग विवरण ऋणदाता द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करेगा।

(xvii) ओवरड्राफ्ट खाते की समीक्षा प्रत्येक बारह माह में खाते के पूर्व प्रदर्शन/संचालन के आधार पर की जाएगी। बैंक को इस सुविधा को कम करने/संशोधित करने/स्थगित करने/वापस लेने का अधिकार है। उधारकर्ता सहमत है और बैंक को बारह माह के अंत में अपने विवेकानुसार इस सुविधा की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करता है। बैंक अपने विवेकानुसार इस सुविधा को संशोधित कर सकता है और इसकी सूचना उधारकर्ता को दे सकता है। यदि संशोधित शर्तें स्वीकार्य नहीं हैं, तो उधारकर्ता इस सुविधा से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान करके इसे बंद करने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि, यदि उधारकर्ता समीक्षा तिथि के अनुसार संशोधन के बाद भी इस सुविधा का उपयोग जारी रखता है, तो इसे नवीनीकृत/संशोधित स्वीकृत शर्तों और नियमों की स्वीकृति माना जाएगा।

10.2 नकारात्मक अनुबंध

ऋणकर्ता ऋणदाता को यह वचन देता है कि जब तक ऋणदाता लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति न दे दे, ऋणकर्ता निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:

(i) ऋण लेने वाला अपनी संरचना, व्यवसाय, प्रबंधन, स्वामित्व या नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही अपने संवैधानिक/निगमन दस्तावेजों में कोई बदलाव करेगा। वह किसी भी व्यक्ति, संस्था, स्थानीय या सरकारी निकाय के साथ कोई समझौता या व्यवस्था नहीं करेगा।
   (a) प्रतिभूतियों या उसके किसी भाग का हिस्सा बनने वाली अचल संपत्तियों के उपयोग, कब्जे या निपटान के लिए
   (b) उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति के संबंध में, जिससे ऋण/ऋण सीमा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ii) किसी के लिए ज़मानत देना या किसी ऋण/ऋण की चुकौती या किसी संपत्ति के खरीद मूल्य की गारंटी देना।

(iii) किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्रतिभूतियों से किसी भी प्रकार से निपटने के लिए कोई भी दस्तावेज, जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी, या कोई अन्य समान या अन्य विलेख निष्पादित करना, सिवाय इसके कि ऋणदाता द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो।

(iv) बकाया दायित्वों का पूर्ण भुगतान होने तक किसी भी व्यक्ति से उधार न लें या किसी संपत्ति को गिरवी न रखें।

(v) ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे ऋण/ऋण सीमा का उपयोग अवैध हो जाए.

11. प्रतिनिधित्व और वारंटी

11.1 ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता को निम्नलिखित बातें प्रमाणित करता है, गारंटी देता है और वचन देता है:

(i) उधारकर्ता के पास लेनदेन दस्तावेजों को निष्पादित करने की क्षमता और अधिकार है और उसने लेनदेन दस्तावेजों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं, जो अनुमोदन ऋण/सीमा की अवधि के दौरान वैध और प्रभावी रहेंगे।

(ii) उधारकर्ता, ऋणदाता को आश्वस्त करता है कि प्रतिभूतियों पर उधारकर्ता का पूर्ण, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है, उसने उचित सावधानी बरती है (जिसमें, जहां आवश्यक हो, कर/कानूनी/लेखा/वित्तीय/अन्य पेशेवरों की सलाह लेना शामिल है) और प्रतिभूतियां पूरी तरह से भारमुक्त हैं और किसी भी प्रकार के दायित्व से मुक्त हैं।

(iii) ऋणकर्ता पुष्टि करता है कि ऋणकर्ता द्वारा या उसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही (किसी भी रूप में) या जांच लंबित या संभावित नहीं है, जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(iv) ऐसी कोई घटना, परिस्थिति या स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जो प्रतिभूतियों के संबंध में उधारकर्ता या ऋणदाता के अधिकार को प्रभावित कर सकती हो या प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में बाधा डाल सकती हो, और कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ है।

(v) ये प्रतिभूतियां केंद्र/राज्य सरकार या सुधार ट्रस्ट या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय या स्थानीय प्राधिकरण की किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं और न ही उनसे प्रभावित हैं, न ही केंद्र/राज्य सरकार या किसी निगम, नगर समिति, ग्राम पंचायत आदि की किसी योजना के तहत सड़क के सरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित हैं।

(vi) ऋणकर्ता ने भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी सार्वजनिक कर, कर और अन्य सभी राजस्व का भुगतान कर दिया है और देय होने पर भुगतान करेगा, और वर्तमान में ऐसे करों और राजस्व का कोई बकाया नहीं है। (क) जहां तक लागू हो, इस अनुबंध या किसी अन्य सुरक्षा/लेनदेन दस्तावेज़ के तहत ऋण/सीमा का लाभ उठाना, अधिकारों का प्रयोग करना और दायित्वों का निर्वहन करना निजी और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किए गए निजी और वाणिज्यिक कार्य माने जाएंगे। (ख) ऋणकर्ता इस अनुबंध और अन्य सुरक्षा/लेनदेन दस्तावेज़ से संबंधित किसी भी कार्यवाही में स्वयं को या अपनी संपत्तियों को मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या अन्य कानूनी प्रक्रिया से छूट प्राप्त करने का हकदार नहीं है और न ही इसका दावा करेगा।

(vii) ऋणकर्ता और/या उसके निदेशकों, साझेदारों, सदस्यों में से किसी को भी जानबूझकर डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

11.2 ऋणकर्ता पुष्टि करता है कि प्रस्तुतियाँऔर इसमें निहित वारंटी को इस समझौते की तारीख से लेकर ऋणदाता को उधारकर्ता द्वारा देय या बकाया सभी राशियों का पूर्ण भुगतान होने तक प्रत्येक दिन उधारकर्ता द्वारा दोहराया हुआ माना जाएगा, मानो यह उस दिन मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में किया गया हो।

12. बीमा

12.1 ऋण लेने वाला व्यक्ति,बकाया दायित्वों के पूर्ण भुगतान तक, संपत्ति और उन सभी अन्य संपत्तियों का पूर्ण बीमा कराएं जिन पर प्रतिभूतियां ऋणदाता के पक्ष में बनाई गई हैं, और उन्हें सभी व्यापक जोखिमों के विरुद्ध बीमाकृत रखें, और ऐसी बीमा पॉलिसियों के लाभों को ऋणदाता के नाम पर उचित रूप से अंकित और 'असाइनी' के रूप में दर्ज करते हुए ऋणदाता द्वारा अपेक्षित मूल्य पर हस्तांतरित करें, और समय-समय पर और जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए, ऋणदाता को इसका प्रमाण प्रस्तुत करें।

12.2 ऋण लेने वाला व्यक्ति,बकाया दायित्वों के पूर्ण भुगतान तक, यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त बीमा पॉलिसी/पॉलिसियाँ वैध, चालू और प्रभावी हों तथा प्रीमियम का समय पर भुगतान करें। ऋणदाता को उधारकर्ता की ओर से प्रीमियम का भुगतान करने और उधारकर्ता से इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

12.3 ऋणदाता को ऋण/सीमा के विरुद्ध किसी भी बीमा पॉलिसी/पॉलिसियों के संबंध में प्राप्त होने वाले किसी भी भुगतान को प्राप्त करने और समायोजित करने का अधिकार होगा तथा इस अनुबंध या किसी अन्य दस्तावेज़ या कागज़ में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, अनुसूची 1 में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची को अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार से परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

13. डिफ़ॉल्ट की घटना

13.1 निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना पर विचार किया जाएगाएक "डिफ़ॉल्ट घटना" के रूप में:

(a) यदि कोई चूक हुई होइस समझौते या लेनदेन दस्तावेजों के तहत ऋण/सीमा के अनुसार देय किसी भी राशि के भुगतान में;

(b) यदि इस समझौते या किसी भी लेनदेन दस्तावेज़ की शर्तों और नियमों का उल्लंघन होता है;

(c) यदि ऋण लेने के दौरान या इस समझौते में या किसी भी लेनदेन दस्तावेज में उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी जानकारी भ्रामक या गलत पाई जाती है;

(d) यदि किसी भी प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आती है या वह खतरे में पड़ जाती है, या यदि प्रतिभूतियों पर अधिकार बदल जाते हैं, या यदि प्रतिभूतियों को लागू करने की ऋणदाता की क्षमता प्रभावित होती है।

(e) यदि उधारकर्ता किसी भी चूक की घटना या ऐसी किसी घटना के घटित होने की सूचना ऋणदाता को देने में विफल रहता है जो सूचना देने या समय बीतने के बाद, या दोनों के बाद, चूक की घटना बन जाएगी;

(f) ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता, किसी बैंक और/या वित्तीय संस्था/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और/या अन्य लेनदारों के साथ किए गए किसी भी ऋण सुविधा समझौते या व्यवस्था के तहत कोई भी चूक इस समझौते के तहत चूक की घटना मानी जाएगी और इसके विपरीत भी ("क्रॉस डिफॉल्ट")।

(g) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो यदि उधारकर्ता के विरुद्ध परिसमापन याचिका दायर की गई है और पहली सुनवाई या स्वीकृति की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उसे रद्द, स्थगित या समाप्त नहीं किया गया है, जो भी पहले हो, या यदि उधारकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही या मुकदमा शुरू किया गया है या शुरू होने की धमकी दी गई है और ऐसी कार्यवाही शुरू होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्थगित या निपटाई नहीं गई है, या यदि किसी प्राधिकरण ने कोई ऐसी कार्रवाई की है जिससे उधारकर्ता अपनी संपत्ति के पर्याप्त हिस्से से वंचित हो गया है, और ऐसी कार्रवाई शुरू होने की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उसे रद्द, स्थगित या समाप्त नहीं किया गया है;

(h) यदि उधारकर्ता एक साझेदारी या सीमित देयता साझेदारी है, और यदि उधारकर्ता भंग हो जाता है या उसे या उसके किसी साझेदार को विघटन की सूचना दी जाती है या यदि उधारकर्ता या उसके किसी साझेदार द्वारा दिवालियापन का कोई कार्य किया जाता है या दिवालिया घोषित होने के लिए आवेदन किया जाता है या उसे या उन्हें या उनमें से किसी को दिवालिया घोषित करने का आदेश पारित किया जाता है;

(i) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति है, तो उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है या उधारकर्ता के खिलाफ कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू की जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

एसएमए / एनपीए वर्गीकरण:

उधारकर्ता खातों का एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के दिन के अंत में किया जाएगा। एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के दिन के अंत में खाते की परिसंपत्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ – सावधि ऋण/सीमा	वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया हो
एसएमए-0	अधिकतम 30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

उदाहरण: यदि किसी ऋण/लिमिट खाते की देय तिथि 31 मार्च है, और इस तिथि से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो 31 मार्च को ही खाता अतिदेय माना जाएगा और उसे SMA-0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यदि यह अवधि भी अतिदेय रहती है, तो 30 अप्रैल को, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इसे SMA-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए SMA-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल होगी। इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय रहता है, तो 30 मई को इसे SMA-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और यदि यह अवधि भी आगे अतिदेय रहती है, तो 29 जून को इसे NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एसएमए / एनपीए श्रेणियाँ – ओवरड्राफ्ट ऋण/सीमा	वर्गीकरण का आधार – बकाया ब्याज या शुल्क
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	खाता 90 दिनों से अधिक समय से निष्क्रिय है।

अव्यवस्थित: एक ओडी खाता निम्नलिखित स्थितियों में "अव्यवस्थित" माना जाता है:

- यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा/निकासी क्षमता से लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक अधिक बनी रहती है, या
- लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, या
- पिछले 90 दिनों के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट राशि

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

पर्याप्त नहीं है।

14. ऋणदाता के उपाय

14.1 यदि कोईयदि ऋण चुकाने में चूक होती है, तो ऋणदाता, उधारकर्ता को लिखित सूचना देकर, बकाया दायित्वों और/या किसी अन्य राशि को, जो लेनदेन दस्तावेजों और/या उधारकर्ता तथा ऋणदाता के बीच मौजूद किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के तहत उधारकर्ता द्वारा देय हो सकती है, साथ ही सभी अन्य शुल्कों और देय राशियों को भी देय घोषित कर सकता है। ऐसी घोषणा के बाद, ये राशियाँ तत्काल देय हो जाएंगी और प्रतिभूतियाँ तथा किसी अन्य ऋण/सीमा से संबंधित प्रतिभूतियाँ, लेनदेन दस्तावेजों या किसी अन्य समझौते/दस्तावेजों में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, लागू हो जाएंगी।

14.2 भुगतान में चूक होने की स्थिति में, देय तिथि से गणना की गई अतिरिक्त ब्याज राशि पर मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा।

14.3 यदि कोई चूक की घटना या कोई ऐसी घटना घटित होती है, जो सूचना या समय बीतने या दोनों के बाद चूक की घटना मानी जाएगी, तो उधारकर्ता तुरंत ऋणदाता को ऐसी चूक की घटना या ऐसी घटना का विवरण देते हुए लिखित में सूचना देगा।

14.4 किसी चूक की घटना घटित होने के बाद ऋणदाता द्वारा नीचे दिए गए सभी उचित खर्चों को उधारकर्ता से वसूला जा सकता है और ऋणदाता द्वारा निर्दिष्ट अनुसार उसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(a) संपत्तियों का संरक्षण (चाहे वे वर्तमान में मौजूद हों या भविष्य में मौजूद हों); या

(b) लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय राशियों की वसूली।

14.5 ऋणदाता, ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के अनुसार भुगतान की गई किसी भी राशि के भुगतान के संबंध में कोई प्रमाण पत्र तभी जारी कर सकता है, जब ऋणकर्ता ने ऋणदाता को लेनदेन दस्तावेजों के तहत देय सभी बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का भुगतान कर दिया हो और ऋणकर्ता ने लेनदेन दस्तावेजों की सभी शर्तों का अनुपालन किया हो।

14.6 ऋण लेने वाला इस बात से सहमत है कि किसी अन्य ऋण सुविधा के तहत ऋण लेने वाले द्वारा ऋणदाता को प्रदान की गई कोई भी सुरक्षा इस समझौते के तहत चूक की घटना होने पर ऋणदाता के लिए उपलब्ध होगी और इसके विपरीत भी।

14.7 ऋण/सीमा के बकाया होने की स्थिति में, बैंक उधारकर्ता को नोटिस जारी करेगा, जिसमें पंद्रह (15) दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होगी। यदि निर्धारित अवधि के भीतर भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है और बैंक के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उधारकर्ता जानबूझकर भुगतान में चूक कर रहा है, तो बैंक उधारकर्ता को अपनी सभी आय को अपने शिवालिक बैंक खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है। अनुपालन न करने पर बैंक निम्नलिखित में से कोई भी या सभी कार्रवाई करने का हकदार होगा:

क) नकदी प्रवाह और ऋण/सीमा उपयोग को सत्यापित करने के लिए समवर्ती या मासिक लेखापरीक्षाएं आयोजित करें।

ख) आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को जानबूझकर डिफ़ॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करें और खाते को एनपीए घोषित करें।

ग) कानून और इस समझौते के तहत अनुमत कानूनी कार्यवाही शुरू करना।

उपरोक्त कार्यवाही को आगे बढ़ाने में बैंक द्वारा किए गए सभी कानूनी और संबंधित खर्चों का वहन उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।

14.8 भुगतान में चूक होने की स्थिति में, ऋणदाता को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह उचित समझे, संपर्क करने का अधिकार होगा ताकि चूक की राशि की वसूली में उनकी सहायता प्राप्त की जा सके, जिसमें उधारकर्ता के कार्यालय और/या उधारकर्ता के कार्यस्थल पर जाना भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

15. अधित्याग

नहीं देइस समझौते, बंधक विलेख या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के तहत किसी भी चूक पर ऋणदाता को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में देरी या चूक, किसी भी अन्य चूक के संबंध में ऋणदाता के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित नहीं करेगी या उसका त्याग नहीं माना जाएगा, और न ही ऐसी चूक के प्रति कोई भी सहमति ऋणदाता के किसी अन्य चूक के संबंध में किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या बाधित करेगी।

16. शर्तों की प्रभावी तिथि औरस्थितियाँ

यह सहमत हैयह समझौता इस अनुबंध के निष्पादन की प्रभावी तिथि से उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों पर बाध्यकारी हो जाएगा। यह तब तक पूर्णतः लागू रहेगा जब तक कि उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच किसी भी अन्य समझौते, दस्तावेज आदि के तहत देय बकाया दायित्वों और अन्य राशियों का ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता।

17. खुलासा

The ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण सीमा दिए जाने की पूर्व शर्त के रूप में ऋणकर्ता एतद्द्वारा सहमत होता है कि ऋणदाता को ऋण/ऋण सीमा, ऋणकर्ता और/या गारंटर (यदि ऋण/ऋण सीमा के संबंध में कोई गारंटी प्रदान की गई है) से संबंधित जानकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रकट करने और प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है जिसे वह उचित समझे, जिसमें आरबीआई, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य एजेंसी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

18. कार्यभार

The ऋणदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह ऋण/सीमा को, यदि कोई सुरक्षा हो, तो उसके साथ या उसके बिना, किसी भी प्रकार से हस्तांतरित/बेच/प्रतिभूत कर सकता है, जिसमें ऋणदाता द्वारा उचित समझे जाने वाले सभी अधिकार, स्वामित्व और हित शामिल हैं, और ऋणदाता एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि ऐसी स्थिति में, ऋणदाता को कोई अनुमति प्राप्त करने या ऋणदाता को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं है और ऋणदाता नए ऋणदाता को नए/अतिरिक्त लेनदार के रूप में मान्यता देगा।

19. क्षतिपूर्ति

The ऋण लेने वाला, ऋणदाता और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को ऋणदाता को हुए सभी प्रकार के नुकसानों से पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने और उन्हें सुरक्षित रखने का वचन देता है, जिसमें ऋण लेने वाले की कार्रवाई/निष्क्रियता के परिणामस्वरूप, ऋणदाता द्वारा इस ऋण/सीमा के संबंध में किए गए सभी खर्च, व्यय, कर और अन्य लागतें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, चाहे वे नुकसान तीसरे पक्ष के दावों या नियामकों या निवेश प्राधिकरणों के दावों के परिणामस्वरूप ही क्यों न हुए हों। ऋण लेने वाला, ऋणदाता को हुए नुकसान की घटना होने पर, बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, विवाद या विरोध के, इस मद में देय कोई भी राशि ऋणदाता को तुरंत भुगतान करने का वचन देता है।

20. भुगतानों का विनियोजन

मानक खाते-जब तक ऋणदाता द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए, इस अनुबंध के तहत देय और भुगतान योग्य कोई भी भुगतान जो उधारकर्ता द्वारा किया गया है, उसे निम्नलिखित क्रम में देय राशियों के लिए विनियोजित किया जाएगा: (i) ब्याज; (ii) ऋण/सीमा की मूल राशि; (iii) पूर्व भुगतान शुल्क और फीस; (iv) प्रशासनिक शुल्क और अन्य लागतें, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क और अन्य धनराशि जो ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च की गई हो।

एनपीए खाते –एनपीए खातों (अपग्रेड के लिए पात्र नहीं) में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा: (i) मूलधन; (ii) ब्याज; (iii) पूर्व भुगतान शुल्क और फीस; (iv) प्रशासनिक शुल्क और अन्य लागतें, शुल्क, व्यय, आकस्मिक शुल्क और अन्य धन जो ऋणदाता द्वारा वसूली के संबंध में खर्च किए गए हों;

21. नोटिस की तामील

21.1इस समझौते और इसके अनुसरण में अन्य दस्तावेजों के तहत कोई भी सूचना, मांग या अन्य संचार निम्नलिखित स्थितियों में वितरित माना जाएगा: (i) यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किया गया है, तो वितरण का प्रमाण प्राप्त होने पर; (ii) यदि उसी देश के भीतर डाक द्वारा भेजा गया है, तो डाक भेजने के दसवें दिन और यदि किसी अन्य देश में डाक द्वारा भेजा गया है, तो डाक भेजने के बीसवें दिन; (iii) यदि फैक्स द्वारा दिया गया है, तो प्रेषण और उपरोक्त प्रेषण की पुष्टि करने वाली प्रेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर; (iv) यदि ईमेल द्वारा दिया गया है, तो प्रेषक द्वारा प्रेषण और प्राप्तकर्ता(ओं) को वितरित होने के बाद; और (iv) यदि पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया है, तो प्रेषण के 4 (चार) दिनों के भीतर। उपरोक्त सूचना के प्रेषण के अनुसार, सूचना भेजने वाला पक्ष पूरी सूचना की सामग्री को प्राप्तकर्ता पक्ष को उल्लिखित पतों पर ईमेल भी करेगा। अनुसूची। में।

21.2 इस समझौते के तहत दी गई या की गई प्रत्येक सूचना, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में या एसएमएस के माध्यम से अनुसूची। में उल्लिखित संबंधित पक्ष के पते या फैक्स नंबर पर भेजा जाएगा।

22. गंभीरता

Theसमझौते की धाराएँ और प्रत्येक धारा में निहित उपधाराएँ अविभाज्य हैं और किसी भी धारा या उपधारा की कोई भी अवैधता, अमान्यता या अनियमितता, असंगतता या विरोधाभास किसी भी तरह से किसी अन्य धारा या उपधारा की वैधता, मान्यता या नियमितता को प्रभावित नहीं करेगा।

23. शासी कानूनऔर अधिकार क्षेत्र

23.1 यहयह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय जिस शहर में स्थित है, उस शहर के सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

23.2 उपरोक्त खंड 23.1 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी संख्या में क्षेत्राधिकारों में एक साथ कार्यवाही कर सकता है।

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

23.3 विषयखंड 23.1 के अनुसार, इस समझौते या इससे संबंधित किसी भी लेन-देन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद या दावे, या इसके उल्लंघन, समाप्ति या अमान्यता को सर्वप्रथम मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और इसका संचालन और प्रशासन "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" नामक एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तृतीय-पक्ष संस्था द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार, और साथ ही इंटरनेट पर उपलब्ध और वेबसाइट पर होस्ट किए गए त्वरित ई-मध्यस्थता के लिए लागू "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।arbitration.jupitice.com"जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" द्वारा संचालित। विवाद का निपटारा करने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और "जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र एकल मध्यस्थ होगा। मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। सभी मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी और मध्यस्थता की प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। बैंक का जुपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा मध्यस्थ के चयन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

24. मिश्रित

24.1 ऋणकर्ता सहमत/पुष्टि करता हैनिम्नलिखित नुसार:

(a) कि नियम और शर्तेंतथा अनुसूची 1 में उल्लिखित सभी अनुबंध और विवरण इस दस्तावेज़ के अभिन्न अंग के रूप में पढ़े और समझे जाएंगे।

(b) ऋणदाता को अपनी सुरक्षा की वसूली के लिए आवश्यक और उससे संबंधित सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(c) यदि ऋण/ऋण सीमा गारंटी द्वारा समर्थित है, तो गारंटर गारंटी विलेख के तहत मुख्य देनदार के रूप में उत्तरदायी होगा और उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा।

(d) ऋणकर्ता, ऋणदाता को मांग पर, इस समझौते की पांच प्रतियों की तैयारी, मुद्रण और मुद्रण तथा निष्पादन के संबंध में उनके या उनमें से किसी के द्वारा किए गए सभी खर्चों (वकील और मुवक्किल के बीच) का भुगतान करेगा, तथा ऋणदाता या उनमें से किसी द्वारा इस समझौते से संबंधित या इसके द्वारा निर्मित सुरक्षा के प्रवर्तन या प्रवर्तन के प्रयास, या उसकी सुरक्षा, बचाव या पूर्णता, या किसी भी धन की वसूली, और सुरक्षा के प्रवर्तन या प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के सभी मुकदमों और कार्यवाही के लिए किए गए या किए जाने वाले सभी अन्य खर्चों का भी भुगतान करेगा।

(e) इसमें निहित कोई भी बात उधारकर्ताओं द्वारा ऋणदाता के प्रति किसी भी ऋण या दायित्व के संबंध में ऋणदाता के अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसा माना नहीं जाएगा।

25. रिकवरी एजेंट की नियुक्ति

25.1 ऋण लेने वाला यह स्वीकार करता है और सहमत है कि ऋणदाता, अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर, ऋण/ऋण राशि या किसी भी बकाया राशि के भुगतान में चूक होने की स्थिति में, ऋणदाता की ओर से वसूली एजेंट नियुक्त कर सकता है। ऋणदाता को ऋण लेने वाले को पूर्व सूचना दिए बिना वसूली एजेंट को नियुक्त करने, पुनः नियुक्त करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

25.2 नियुक्त वसूली एजेंट को निम्नलिखित अधिकार होंगे: (i) ऋणदाता की ओर से उधारकर्ता से मूलधन, ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्कों सहित बकाया राशि वसूल करना। (ii) ऋणदाता की स्वीकृति के अधीन, उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी बकाया राशि पर बातचीत करना, समझौता करना या उसका निपटारा करना। (iii) लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों की पुनः प्राप्ति सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, कानूनी या अन्य कार्रवाई शुरू करना।

25.3 ऋणधारक, ऋणदाता द्वारा नियुक्त वसूली एजेंट के साथ सहयोग करने और वसूली में सहायता के लिए वसूली एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान करने के लिए सहमत है। ऋणधारक किसी भी प्रकार से वसूली एजेंट को उसके कर्तव्यों के पालन में बाधा नहीं डालेगा।

25.4 वसूली एजेंट वसूली गतिविधियों को अंजाम देते समय भारतीय रिज़र्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि ऋणदाता और वसूली एजेंट वसूली कार्रवाई करते समय गोपनीयता बनाए रखेंगे और नैतिक मानकों का पालन करेंगे।

25.5 ऋणदाता और/या वसूली एजेंट द्वारा वसूली प्रक्रिया के संबंध में किए गए सभी उचित खर्च और व्यय, जिनमें कानूनी शुल्क भी शामिल हैं, उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे और बकाया राशि में जोड़ दिए जाएंगे।

25.6 ऋणदाता, ऋणी को पूर्व सूचना दिए बिना, इस खंड के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी भी तीसरे पक्ष को, जिसमें वसूली एजेंट भी शामिल है, हस्तांतरित या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

26. ग्रहणाधिकार और समायोजन

26.1 **धारणाधिकार**

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता को ऋण/सीमा या इस समझौते के तहत देय किसी भी बकाया राशि के उचित पुनर्भुगतान के लिए, ऋणकर्ता की सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों, खातों और धन पर ग्रहणाधिकार, प्रभार और प्रतिधारण का अधिकार होगा, जो ऋणदाता के कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में हैं या आ सकते हैं, चाहे वह सुरक्षा के रूप में हो या अन्यथा। ऋणदाता किसी भी समय और ऋणकर्ता को बिना सूचना दिए, मूलधन, ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्कों सहित किसी भी बकाया राशि की पूर्ति के लिए ऐसी किसी भी संपत्ति को अपने पास रख सकता है, बेच सकता है या वसूल कर सकता है।

26.2 **सेट-ऑफ का अधिकार**

यदि ऋणकर्ता इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान करने में चूक करता है या विफल रहता है, तो ऋणदाता को यह अधिकार है कि वह बिना किसी पूर्व सूचना या मांग के, ऋणदाता के पास ऋणकर्ता द्वारा रखे गए किसी भी खाते (चाहे वह खाता अकेले हो या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से) में मौजूद किसी भी शेष राशि का उपयोग ऋणकर्ता द्वारा देय किसी भी बकाया राशि, जिसमें मूलधन, ब्याज, शुल्क, लागत या इस समझौते के तहत कोई अन्य देनदारी शामिल है, के निपटान के लिए कर सकता है। यह अधिकार ऋणदाता के पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा।

26.3 **अन्य अधिकारों का त्याग नहीं किया जाएगा**

इस समझौते में दिए गए ग्रहणाधिकार और समायोजन के अधिकार, लागू कानून या उधारकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के तहत ऋणदाता को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके उल्लंघन में।

26.4 **एकाधिक खाते**

यदि उधारकर्ता ऋणदाता के पास एक से अधिक खाते रखता है, तो ऋणदाता को ऐसे किसी भी या सभी खातों को संयोजित या समेकित करने और ऐसे खातों में किसी भी या सभी शेष राशि के विरुद्ध समायोजन के अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होगा, चाहे खाते किसी भी शर्तों या नियमों के तहत खोले या रखे गए हों।

26.5 **निरंतर सुरक्षा**

इस अनुबंध में दिए गए ग्रहणाधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार निरंतर प्रकृति का होगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि इस अनुबंध के तहत ऋणदाता को देय सभी राशियों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता और ऋणदाता द्वारा ऐसे भुगतान की लिखित पुष्टि नहीं कर दी जाती।

26.6 **कानूनी अधिकार**

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऋणदाता के ग्रहणाधिकार और क्षतिपूर्ति अधिकार पूर्ण, अपरिवर्तनीय और लागू कानूनों के अनुसार प्रवर्तनीय हैं, और उधारकर्ता कानून द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, ऋणदाता द्वारा ऐसे अधिकारों के प्रयोग का विरोध या चुनौती देने के किसी भी अधिकार को त्याग देता है।

26.7 **तृतीय-पक्ष खाते**

संयुक्त खाते या किसी ऐसे खाते के मामले में जिसमें उधारकर्ता सह-धारक है, उधारकर्ता सहमत है कि ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के खाताधारकों के किसी भी दावे के बावजूद, लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे खाते में संपूर्ण शेष राशि के संबंध में अपने ग्रहणाधिकार या समायोजन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

27. लेखापरीक्षा और निरीक्षण

ऋण लेने वाला इस बात से सहमत है कि ऋणदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों, जिनमें बाहरी लेखा परीक्षक या नियामक प्राधिकरण शामिल हैं, को इस समझौते की अवधि के दौरान किसी भी समय, ऋण लेने वाले के वित्तीय अभिलेखों, खातों और ऋण/सीमा या ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेजों का लेखा-जोखा, निरीक्षण और जांच करने का अधिकार होगा, ताकि इस समझौते के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऋण लेने वाले की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके।

27.1 **सहयोग और पहुंच**

ऋणकर्ता किसी भी लेखापरीक्षा या जांच के दौरान ऋणदाता और उसके प्रतिनिधियों के साथ पूर्ण सहयोग करने के लिए सहमत है। इसमें ऋणदाता, उसके लेखा परीक्षकों या नियामक द्वारा अनुरोधित खातों, अभिलेखों, चालानों या किसी भी अन्य दस्तावेज़ तक

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

पहुंच प्रदान करना शामिल है। ऋणकर्ता ऋणदाता या उसके प्रतिनिधियों को अपने किसी भी व्यावसायिक परिसर में ऐसी लेखापरीक्षा करने की अनुमति देगा और लेखापरीक्षा के संचालन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

27.2 **लेखापरीक्षा/निरीक्षण का दायरा**

ऋणकर्ता यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता किसी भी विसंगति, गैर-अनुपालन, ऋण/सीमा निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी, या ऋणदाता के हितों को खतरे में डालने वाली किसी भी अन्य गतिविधि की पुष्टि करने के लिए लेखापरीक्षा/निरीक्षण कर सकता है या करवा सकता है। ऐसी जांचों के दायरे में ऋणकर्ता की वित्तीय प्रथाएं, परिचालन प्रक्रियाएं, या ऋणदाता द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले कोई भी अन्य क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

27.3 **तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षकों**

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता किसी भी लेखापरीक्षा या जांच के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षकों या विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि ऋणकर्ता ने समझौते की शर्तों का गंभीर रूप से उल्लंघन किया है, धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलग्न रहा है, या अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी है, तो ऐसी लेखापरीक्षाओं का खर्च ऋणकर्ता वहन करेगा।

27.4 **संदिग्ध खाता**

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है कि ऋणदाता, अपने विवेकानुसार, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या संदिग्ध गतिविधि के आधार पर, ऋणकर्ता से कोई और अपील किए बिना खाते को संदिग्ध खाता घोषित कर सकता है और व्यापक ऑडिट की कार्यवाही कर सकता है। ऋणकर्ता ऋणदाता की जांच प्रक्रियाओं में पूर्ण सहयोग करने के लिए बाध्य है। यदि जांच में धोखाधड़ी की पुष्टि नहीं होती है, तो संदिग्ध खाता हटा दिया जाएगा और खाते की सामान्य निगरानी फिर से शुरू हो जाएगी।

27.5 **लेखापरीक्षा/जांच के बाद के दायित्व**

यदि किसी ऑडिट या जांच में इस समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अनियमितताओं, गलत बयानी या गैर-अनुपालन का पता चलता है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित के लिए सहमत है: क. ऐसी अनियमितताओं या गलत बयानी को तुरंत ठीक करना। ख. इसके परिणामस्वरूप हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति करना। ग. ऐसे ऑडिट या जांच के संबंध में ऋणदाता द्वारा किए गए किसी भी खर्च या शुल्क का भुगतान करना।

27.6 अनुपालन न करने के परिणाम

ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता की लेखापरीक्षा या जांच प्रक्रिया का अनुपालन न करना, या अनुरोधित दस्तावेज़ उपलब्ध कराने या पहुँच प्राप्त करने से इनकार करना, इस समझौते के अंतर्गत चूक माना जा सकता है। ऐसी चूक होने पर, ऋणदाता को उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें समझौता समाप्त करना, ऋण/सीमा की तत्काल चुकौती की मांग करना, या कानूनी उपाय अपनाना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

28. शिकायत निवारण तंत्र

(धारा 28 के लिए 'ऋणदाता' और 'बैंक' शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाएगा)

यदि किसी उधारकर्ता को कोई शिकायत या समस्या हो, तो वह बैंक के ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क कर सकता है या अपनी निकटतम बैंक शाखा में जा सकता है। वे अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए शाखा में उपलब्ध शिकायत पेटी या शिकायत प्रपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं।

यदि प्रारंभिक समाधान उधारकर्ता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है,पालन की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है:

स्तर 1: बैंक शाखा प्रबंधक / फ़ोन बैंकिंग नंबर / ग्राहक सेवा केंद्र:

ऋण लेने वाला व्यक्ति अपने निकटतम शाखा कार्यालय में बैंक के शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, ऋण लेने वाला व्यक्ति टोल-फ्री नंबर 1800-202-5333 पर बैंक के फोन बैंकिंग अधिकारी से संपर्क कर सकता है या ईमेल भेज सकता है।customercare@shivalik.bank.in

स्तर 2: नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी का नाम: रूपेश त्यागी
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, ऐड इंडिया टावर, प्लॉट नंबर 6ए, सेक्टर 125, नोएडा – 201303, संपर्क विवरण: 0120–4060011
ईमेल आईडी:grievance@shivalik.bank.in

स्तर 3: प्रधान नोडल अधिकारी

प्रधान नोडल अधिकारी का नाम: जयत्री सिंह
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, ऐड इंडिया टावर, प्लॉट नंबर 6ए, सेक्टर 125, नोएडा – 201303, संपर्क विवरण: 0120–4060012
ईमेल आईडी:pno@shivalik.bank.in

शिकायत निवारण वृद्धि मैट्रिक्स के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: https://shivalik.bank.in/grievance-redressal

प्रधान नोडल अधिकारी 7 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देते हुए जवाब देने में लगने वाले अतिरिक्त समय का कारण स्पष्ट किया जाएगा।

एकीकृत लोकपाल को शिकायत भेजना: बैंक भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के अंतर्गत आता है। यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों के भीतर उसकी शिकायत का निवारण नहीं होता है, तो वह https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

शिकायतें चंडीगढ़ में स्थापित 'केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र' (सीआरपीसी) में प्रत्यक्ष रूप से भी जमा की जा सकती हैं। सीआरपीसी का पता: केंद्रीकृत रसीद एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ – 160017। ईमेल: crpc@rbi.org.in । आरबीआई संपर्क केंद्र का टोल-फ्री नंबर: 14448

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

29. (ए) लिंक्ड बचत खाते को बंद करना

"ऋणकर्ता एतद्द्वारा बैंक को, लागू कानून और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान और बंद होने पर, ऋण के संबंध में खोले गए या नामित बचत खाते ('लिंक्ड बचत खाता') को बंद करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है, जब तक कि ऋणकर्ता ऐसे बचत खाते को जारी रखने के लिए बैंक को लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं करता है।"

इस प्रकार के लिखित अनुरोध के अभाव में, बैंक को अपने ग्रहणाधिकार और समायोजन के अधिकार का प्रयोग करने और ऋण तथा/या किसी अन्य सुविधा या दायित्वों, चाहे वे वर्तमान, भविष्य के, वास्तविक या आकस्मिक हों, के तहत उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी भी बकाया राशि के समायोजन के लिए लिंक्ड बचत खाते में जमा किसी भी शेष राशि को विनियोजित करने का अधिकार होगा।

इस प्रकार के विनियोजन के बाद बची हुई कोई भी अतिरिक्त राशि उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी, और उसके बाद उधारकर्ता से किसी और कार्य, दस्तावेज या पुष्टि की आवश्यकता के बिना, बैंक की नीतियों के अनुसार लिंक्ड बचत खाता बंद कर दिया जाएगा।

(B) लिंक्ड बचत खाते को जारी रखने का विकल्प

"यदि उधारकर्ता ऋण खाते की समाप्ति के बाद भी लिंक्ड बचत खाते को जारी रखना चाहता है, तो उधारकर्ता को ऋण खाते की समाप्ति से पहले या समाप्ति के समय बैंक को एक स्पष्ट और लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।"

लिंक्ड बचत खाते का संचालन बैंक की जमा खातों पर लागू प्रचलित नीतियों, आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति और लागू कानूनों, नियमों और नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा, जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश भी शामिल हैं। बैंक इन नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार खाते का संचालन अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा-सह-प्राधिकरण

मैं/हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले उधारकर्ता, एतद्द्वारा पुष्टि और घोषणा करते हैं कि मेरे/हमारे ऋण के संबंध में बैंक में बनाए गए बचत खाते को ऋण के प्रयोजनों के लिए एक लिंक्ड खाते के रूप में नामित किया गया है।

मैं/हम एतद्द्वारा बैंक को यह अधिकार देता/देती हूं कि वह उक्त बचत खाते में जमा किसी भी शेष राशि को ऋण के पुनर्भुगतान और/या मेरे/हमारे द्वारा बैंक को देय किसी अन्य बकाया राशि के भुगतान हेतु, ऋण समझौते की शर्तों और लागू कानून के अनुसार, विनियोजित और समायोजित कर सकता/सकती है।

मैं/हम बैंक को यह अधिकार देते हैं कि ऋण खाता बंद होने पर उक्त बचत खाता भी बंद कर दिया जाए, जब तक कि मैं/हम बैंक की प्रचलित नीतियों और नियामक दिशानिर्देशों के अधीन खाते को जारी रखने के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत न करें।

यह प्राधिकरण अपरिवर्तनीय होगा और मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।

ऋण लेने वाले ने इस समझौते को पढ़ और समझ लिया है, और यदि ऋण लेने वाला निरक्षर है और/या अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है, तो इस समझौते के नियम और शर्तें ऋण लेने वाले को उसकी स्थानीय भाषा में पढ़कर, अनुवाद करके और विस्तार से समझा दी गई हैं।

मैंने/हमने पहले खण्डों तथा महत्वपूर्ण व्यवसाय वास्तव में को पढ़ें लिया है और समझ लिया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी विश्वास को वाद के लिए बाउंड होंगे। पूर्वोक्त में एक गए न और अन्य अन्य को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा पूर्व समझ लिया है। ऋण प्राप्त किया गया एक इस वास्तव में की विषयब आख़िर करने और हाँ के बाद हस्ताक्षर किए हैं।

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

समतुल्य मासिक किस्तों (ईएमआई) पर आधारित व्यक्तिगत ऋणों (टर्म लोन) पर फ्लोटिंग ब्याज दर का रीसेट

यदि बाह्य बेंचमार्क दर (रेपो दर) में परिवर्तन होता है, तो ऋण खाते के लिए ब्याज दर में संशोधन किया जाएगा, और इसलिए इसकी प्रभाव से EMI और/या अवधि या दोनों पर पड़ेगा। बाह्य बेंचमार्क दर में परिवर्तन के कारण EMI/अवधि या दोनों में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को दी जाएगी। दर में बदलाव से पहले उधारकर्ता के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

1. ऋण की अवधि में परिवर्तन
2. ऋण की EMI में परिवर्तन
3. ऋण की अवधि और EMI में परिवर्तन
4. वर्तमान फ्लोटिंग ब्याज दर से निश्चित ब्याज दर में बदलने के लिए रूपांतरण विकल्प का लाभ उठाएं। इसके लिए लागू संशोधन शुल्क लिया जाएगा।

ऋणधारक, रीसेट तिथि से पहले बैंक की किसी भी ऋण सेवा शाखा में जाकर उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। अनुरोध को ऋणधारक द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर या सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार संसाधित किया जाएगा। यदि रीसेट तिथि से पहले कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो दर रीसेट नीचे दिए गए तरीके से किया जाएगा और रीसेट के बाद इसकी सूचना दी जाएगी:

1. कार्यकाल में वृद्धि, फिर
2. ऋण अवधि की सीमा समाप्त होने पर ईएमआई में वृद्धि।
3. यदि ऋण की अवधि और दायित्व बैंक की सीमा से अधिक हो जाते हैं, तो उधारकर्ता से नए सिरे से क्रेडिट मूल्यांकन और ऋण संबंधी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त,

ऋणधारक ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक या पूर्ण भुगतान का विकल्प चुन सकता है। कुर्की शुल्क/पूर्व भुगतान शुल्क मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लगाए जाएंगे।

आईआरएसी मानदंड: एसएमए, एनपीए वर्गीकरण और एनपीए उन्नयन

यह पुष्टि की जाती है कि मैंने/हमने मेरे/हमारे लिए स्वीकृत क्रेडिट सुविधा के संदर्भ में नीचे उल्लिखित खातों के संचालन के तहत बकाया राशि, देय तिथियों और हमारे उधारकर्ता खातों को एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित अवधारणाओं को समझ लिया है।

परिभाषाएँ:

देय राशि:ऋण खाते पर लगाए गए मूलधन/ब्याज/कोई भी शुल्क, जो ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय हैं।

बकाया:ऋण खाते पर लगने वाली मूल राशि/ब्याज/कोई भी शुल्क जो देय है लेकिन ऋण सुविधा की स्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई भी राशि 'ओवरड्यू' मानी जाती है यदि बैंक द्वारा निर्धारित नियत तिथि पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

ऋणकर्ता के खाते में भुगतान के आवंटन में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (एफआईएफओ) सिद्धांत की प्रासंगिकता:एसएमए/एनपीए स्थिति निर्धारित करने के लिए बकाया दिनों की संख्या निकालने हेतु एफआईएफओ सिद्धांत, यानी 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति प्रासंगिक है। एफआईएफओ सिद्धांत के अनुसार, ऋण खाते में सबसे पुराने बकाया का भुगतान पहले किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एफआईएफओ पद्धति के तहत, उधारकर्ता को पहले देय राशि का भुगतान करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि 01.02.2021 को किसी ऋण खाते में कोई बकाया नहीं है और मूलधन/ब्याज/शुल्क के रूप में X रुपये की राशि देय है, तो 01.02.2021 को या उसके बाद ऋण खाते में जमा किया गया कोई भी भुगतान 01.02.2021 को बकाया राशि के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा।

यह मानते हुए कि फरवरी माह के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया है या देय राशि का आंशिक भुगतान (Y रुपये) किया गया है, तो 01.03.2021 को बकाया राशि XY रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, 01.03.2021 को Z रुपये की राशि देय हो जाती है। अब 01.03.2021 को या उसके बाद खाते में प्राप्त कोई भी भुगतान/आंशिक भुगतान पहले 01.02.2021 के आंशिक बकाया (X रुपये - Y रुपये) के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि X रुपये - Y रुपये से अधिक वसूली होती है, तो 01.02.2021 के बकाया की वसूली के बाद, शेष राशि को 01.03.2021 के बकाया की वसूली के रूप में माना जाएगा।

सबसे पुराने बकायादारों की आयु:सबसे पुराने बकाया की आयु की गणना उस तिथि से दिनों में की जाती है जिस पर सबसे पुराना भुगतान देय होता है और उपरोक्त उदाहरण में बकाया बना रहता है। यदि 1 फरवरी 2021 से संबंधित बकाया 01.03.2021 तक बकाया रहता है, तो सबसे पुराने बकाया की आयु 02.03.2021 को 29 दिन मानी जाएगी।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए):नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिस पर ब्याज और/या मूलधन की किस्त सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरणऋण देने वाली संस्थाएँ, ऋण खातों में उत्पन्न होने वाले तनाव को डिफ़ॉल्ट होने पर तुरंत पहचान लेंगी और उन्हें विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करेंगी। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित होगा:

एसएमए उप-श्रेणियाँ	सावधि ऋण के वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बकाया हो
एसएमए-0	अधिकतम 30 दिनों तक
एसएमए-1	30 दिनों से अधिक और 60 दिनों तक
एसएमए -2	60 दिनों से अधिक और 90 दिनों तक
एनपीए	90 दिनों से अधिक

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

भुगतान में देरी/भुगतान न होने के आधार पर खाते का एसएमए श्रेणी से एनपीए श्रेणी में स्थानांतरण और उसके बाद दिन के अंत में मानक श्रेणी में उन्नयन की प्रक्रिया का उदाहरण:

भुगतान देय तिथि	भुगतान तिथि	भुगतान कवर करता है	सबसे पुराने बकाया (दिनों में)	एसएमए/एनपीए श्रेणी	एसएमए की शुरुआत की तिथि / एसएमए कक्षा की तिथि	एनपीए स्थिति	एनपीए तिथि
01.01.2022	01.01.2022	01.01.2022 तक की पूरी बकाया राशि	0	शून्य	ना	ना	ना
01.02.2022	01.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया।	1	एसएमए-0	01.02.2022	ना	ना
01.02.2022	02.02.2022	01.02.2022 को आंशिक रूप से बकाया राशि का भुगतान किया गया।	2	एसएमए-0	01.02.2022	ना	ना
01.03.2022		01.02.2022 का बकाया पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है, 01.03.2022 का बकाया भी 01.03.2022 को दिन के अंत तक देय है।	29	एसएमए-0	01.02.2022	ना	ना
		01.02.2022 का बकाया पूरी तरह से चुका दिया गया है, 01.03.2022 का बकाया 01.03.2022 को दिन के अंत तक अदा नहीं किया गया है।	1	एसएमए-0	01.03.2022	ना	ना
		दिनांक 03.03.2022 को दिन के अंत तक 01.02.2022 और 01.03.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।	31	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	ना	ना
		01.02.2022 का बकाया पूरी तरह से चुका दिया गया है, 01.03.2022 का बकाया 1.03.2022 के अंत तक पूरी तरह से नहीं चुकाया गया है।	1	एसएमए-0	01.03.2022	ना	ना
01.04.2022		दिनांक 01.02.2022, 01.03.2022 और दिनांक 01.04.2022 को देय राशि का भुगतान दिनांक 01.04.2022 को नहीं किया गया।	60	एसएमए-1	01.02.2022 / 03.03.2022	ना	ना
		01.02.2022 से 01.04.2022 तक की देय राशि का भुगतान 02.04.2022 को दिन के अंत तक नहीं किया जाएगा।	61	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	ना	ना
01.05.2022		01.02.2022 से 01.05.2022 तक की देय राशि का भुगतान 01.05.2022 को दिन के अंत तक नहीं किया जाएगा।	90	एसएमए -2	01.02.2022 / 02.04.2022	ना	ना
		02.02.2022 से 01.05.2022 तक की देय राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा (दिनांक 02.05.2022 तक)।	91	एनपीए	ना	एनपीए	02.05.2022
01.06.2022	01.06.2022	दिनांक 01.02.2022 का पूरा बकाया दिनांक 01.06.2022 को पूर्णतः चुका दिया गया।	93	एनपीए	ना	एनपीए	02.05.2022

01.07.2022	01.07.2022	01.03.2022 और 01.04.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान 01.07.2022 को दिन के अंत तक कर दिया गया।	62	एनपीए	ना	एनपीए	02.05.2022
01.08.2022	01.08.2022	01.05.2022 और 01.06.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान 01.08.2022 को दिन के अंत तक कर दिया गया।	32	एनपीए	ना	एनपीए	02.05.2022
01.09.2022	01.09.2022	01.07.2022 और 01.08.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान 01.09.2022 को दिन के अंत तक कर दिया गया।	1	एनपीए	ना	एनपीए	02.05.2022
01.10.2022	01.10.2022	01.09.2022 और 01.10.2022 की पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।	0	मानक खाता	ना	ना	दिनांक 01.10.2022 से एसटीडी

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपर्युक्त कुछ उदाहरण केवल दृष्टांत मात्र हैं और सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाले संपूर्ण उदाहरण नहीं हैं, और यह कि आईआरएसीपी के मानदंड और आरबीआई द्वारा उपरोक्त विषयों पर दिए गए स्पष्टीकरण ही मान्य होंगे।

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची।

ऋणदाता विवरण						
1.	शाखा का नाम					
2.	अधिकार क्षेत्र (भुगतान का स्थान)					
उधारकर्ता का विवरण						
1.	[ ] कंपनी	**[ ] साझेदारी**	**[ ] सीमित देयता भागीदारी**	**[ ]समाज**	**[ ] ट्रस्ट**	**[ ] एकल स्वामित्व**
ए।	नाम					
बी।	पंजीकृत कार्यालय का पता					
सी।	कंपनी पहचान संख्या (यदि कंपनी है)					
डी।	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ई.	सभी के नाम, **[ ] निदेशक** **[ ] साझेदार** **[ ] सदस्य** **[ ] एकमात्र स्वामी**					
एफ।	वह क़ानून जिसके तहत उधारकर्ता का निगमन हुआ था	**[ ] कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 **[ ] समाज**- समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम **[ ] ट्रस्ट**- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882				
2.	यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति है					
ऐ.i	नाम					
ए.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
ए.iii	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ए.iv	निवास का पता					
बी.i	नाम					
बी.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
बी.iii	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
बी.iv	निवास का पता					

अनुसूची। सह-ऋणकर्ता(ओं) का विवरण					
1.	[ ] निदेशक	**[ ] साझेदार**	**[ ] सदस्य**	**[ ]एकमात्र स्वामी**	**[ ] व्यक्ति**
ए.i	नाम				

ए. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
ए. iii	निवास का पता	
बी. i	नाम	
ख. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
बी. iii	निवास का पता	
सी. i	नाम	
सी. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
सी. iii	निवास का पता	
डी. I	नाम	
डी. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
डी. iii	निवास का पता	
ई. i	नाम	
ई. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
ई. iii	निवास का पता	
एफ. i	नाम	
एफ. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
एफ. iii	निवास का पता	
जी. i	नाम	
जी. ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी	
जी. iii	निवास का पता	

2.	**[ ] कंपनी**	**[ ] साझेदारी**	**[ ] सीमित देयता भागीदारी**	**[ ] समाज**	**[ ] ट्रस्ट**
एक।	नाम				
बी।	पंजीकृत कार्यालय का पता				
सी।	कंपनी पहचान संख्या (यदि कंपनी है)				
डी।	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता				
ई.	सभी के नाम, **[ ] निदेशक**				

	[ ] साझेदार **[ ] सदस्य**	
एफ।	वह क़ानून जिसके तहत उधारकर्ता का निगमन हुआ था	**[ ] कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 **[ ] समाज**- समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम **[ ] ट्रस्ट**- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882

सुरक्षा संबंधी विवरण		
1.	विवरणसंपत्ति का	
2.	अतिरिक्त सुरक्षा/गिरवी	

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची।
मुख्य तथ्य विवरण
भाग 1 (ब्याज दर और शुल्क/प्रभार)

1	**ऋण प्रस्ताव/खाता संख्या**		**ऋण का प्रकार**	☐ संपत्ति के बदले ऋण ☐ आवास ऋण
2	**स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)**			
3	**भुगतान अनुसूची** (i) किस्तों में भुगतान या एकमुश्त राशि का भुगतान। (ii) यदि यह चरणबद्ध है, तो ऋण समझौते की उस धारा का उल्लेख करें जिसमें प्रासंगिक विवरण शामिल हैं।			
4	**ऋण अवधि (महीनों में)**			
5	**किस्त विवरण**			

किश्तों के प्रकार	ईपीआई की संख्या	ईपीआई (₹)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत

6	**ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित, अस्थिर या हाइब्रिड)**	
7	**ब्याज की अस्थिर दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी**	

संदर्भ बेंचमार्क	मानक दर (%) (बी)	प्रसार (%) (एस)	अंतिमदर (%) R = (B) + (S)	आवधिकता रीसेट करें(महीने)		संदर्भ बेंचमार्क में परिवर्तन का प्रभाव ('R' में 25 bps परिवर्तन के लिए, परिवर्तन)	
				बी	एस	ईपीआई (₹)	ईपीआई की संख्या
आरबीआई की नीति रेपो दर				कम से कम तीन महीने में एक बार	भुगतान/अंतिम रीसेट की तारीख से 36 महीने पहले नहीं।	+0.25%-	+0.25%-
						-0.25%-	-0.25%-

8	**शुल्क/प्रभार**				
		आरई (ए) को देय		आरई (बी) के माध्यम से किसी तीसरे पक्ष को देय	
		एक बार/ आवर्ती	इसमें राशि ₹) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	एक बार/बार-बार	लागू होने के अनुसार राशि (₹ में) या प्रतिशत (%)
(i)	प्रक्रमण फीस	वन टाइम		लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(iii)	कानूनी एवं मूल्यांकन शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(v)	दस्तावेज़ सत्यापन शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	वन टाइम	
(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	वन टाइम		लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	अन्य कोई शुल्क (कृपया स्पष्ट करें)				
9	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)**				
10	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**				
(i)	विलंबित भुगतान की स्थिति में लागू होने वाले दंडात्मक शुल्क – बकाया शुल्क				बकाया राशि पर 2% प्रति माह का ब्याज लगेगा।
(ii)	अन्य दंडात्मक शुल्क – ईएमआई बाउंस शुल्क				₹600 + जीएसटी
(iii)	यदि लागू हो तो गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी का शुल्क*				1. अधिकतम 1 वर्ष के लिए - बकाया राशि का 4% + जीएसटी 2. 1 से 3 वर्ष के बीच - बकाया राशि का 3% +

		जीएसटी 3. 3 वर्ष बाद - बकाया राशि का 2% + जीएसटी
	भाग - पूर्व भुगतान शुल्क*	अग्रिम भुगतान राशि का 2% + जीएसटी
	*व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट लोन के लिए, चाहे सह-देनदार हों या न हों, बैंक कोई भी फोरक्लोजर/पूर्व-भुगतान/आंशिक-पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगा। *व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए, चाहे सह-देनदार हों या न हों, बैंक किसी भी प्रकार का फोरक्लोजर/पूर्व-भुगतान/आंशिक-पूर्व-भुगतान शुल्क नहीं लगाएगा।	
(iv)	फ्लोटिंग रेट लोन को फिक्स्ड रेट लोन में बदलने और इसके विपरीत के लिए लगने वाले शुल्क।	बकाया राशि का 0.25%, अधिकतम 5000 रुपये + जीएसटी के अधीन।
(v)	अन्य कोई शुल्क (कृपया स्पष्ट करें)	
	स्टांप पेपर शुल्क	₹
	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	₹100/- + जीएसटी
	बैंक के नोटिस शुल्क	प्रति सूचना ₹100/- + जीएसटी
	कानूनी सूचना शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
	वसूली शुल्क	वास्तविक आंकड़ों के अनुसार
	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25% अधिकतम 5000 रुपये + जीएसटी के अधीन।
	रद्दीकरण शुल्क	₹5,000 + भुगतान की तारीख से लेकर रद्द करने के अनुरोध की प्राप्ति तक का ब्याज
	सेरसाई	₹

भाग 2 (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1	धारा का ऋण समझौता संबंधित को रिकवरी एजेंटों की सहभागिता	वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए ऋण समझौते के खंड 25 का संदर्भ लें।
2	धारा का ऋण समझौता कौन विवरण शिकायत निवारण तंत्र	शिकायत के लिए ऋण समझौते के खंड 28 का संदर्भ लें। निवारण तंत्र।
3	फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का	स्तर 1- 1800-202-5333 customercare@shivalikbank.com स्तर 2 - 0120–4060011, grievance@shivalikbank.com स्तर 3 - 0120–4060012, pno@shivalikbank.com
4	चाहे ऋण वर्तमान में हो या भविष्य में हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है स्थानांतरित करने के लिएअन्य अचल संपत्ति (REs) या प्रतिभूतिकरण के लिए (हाँ/नहीं)	हाँ
5	सहयोगात्मक ऋण व्यवस्थाओं (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रदान किए जा सकते हैं:	

उत्पत्ति RE का नाम, साथ ही इसके वित्तपोषण अनुपात के साथ	साझेदार आरई का नाम और उसके साथ वित्त पोषण का अनुपात	मिश्रित ब्याज दर
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

6	डिजिटल ऋणों के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट जानकारियाँ प्रदान की जा सकती हैं:	
(i)	आरई के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार शीतलन अवधि/निगरानी अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	लागू नहीं
(ii)	विवरण एलएसपी वसूली एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत	लागू नहीं

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची। – ऋण विवरण				
1.	ऋण खाता संख्या			
2.	स्वीकृति पत्र की तिथि और संदर्भ संख्या।			
3.	सुविधा की प्रकृति	सावधि ऋण		
4.	उत्पाद का प्रकार	[ ] संपत्ति के बदले ऋण	[ ] आवास ऋण	
5.	किश्तों की संख्या	[ ] अकेला	[ ] एकाधिक	
6.	पहली किश्त की राशि	दूसरी किश्त की राशि	तीसरी किश्त की राशि	
7.	ब्याज (इसकी गणना मासिक आधार पर की जाएगी। इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।)			
8.	समझौते का स्थान और तिथि			
भुगतान विवरण				
1.	ईएमआई की संख्या			
2.	पहली मासिक किस्त की देय तिथि			
3.	परिशोधन अनुसूची / मूलधन और ब्याज का विवरण	स्वीकृति तिथि के आधार पर दी गई पुनर्भुगतान अनुसूची एक सांकेतिक पुनर्भुगतान है।भुगतान अनुसूची। सुविधा वितरित होने के बाद लागू पुनर्भुगतान अनुसूची प्रदान की जाती है। वितरण तिथियों/राशियों में अंतर होने की स्थिति में, पुनर्भुगतान अनुसूची में परिवर्तन किया जा सकता है।		
4.	भुगतान का तरीका	[ ] नाच	[ ] एसआई	[ ] अन्य
5.	एक माह में संवितरण तिथि सीमा	प्रथम से चतुर्थ तक	5वें से 15वें तक	16 से 31 तक
	खंडित अवधि ब्याज	उसी महीने की 5 तारीख	शून्य	अगले महीने की 5 तारीख
	पहली EMI की देय तिथि	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 5 तारीख

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

अनुसूची I - ओवरड्राफ्ट सीमा संबंधी तथ्य विवरण और विवरण					
1.	खाता संख्या				
2.	स्वीकृति पत्र की तिथि और संदर्भ संख्या।				
3.	समझौते का स्थान और तिथि				
4.	सुविधा की प्रकृति	ओवरड्राफ्ट सीमा			
5.	ऋण का प्रकार	ऋणख़िलाफ़संपत्ति			
6.	स्वीकृत राशि				
7.	अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा				
8.	शक्ति आकर्षित करना				
9.	ब्याज का प्रकार (फ्लोटिंग या फिक्स्ड)				
10.	ब्याज दर (फ्लोटिंग के मामले में)	_____% प्रति वर्ष (मानक दर -_____% + प्रसार -_____%)			
11 I	ब्याज दर (निश्चित ब्याज दर के मामले में)	_____ % pa			
12.	आवधिकता रीसेट करें	मानक दर - कम से कम तीन महीने में एक बार प्रसार - संवितरण/अंतिम रीसेट से 36 महीने पहले नहीं			
13.	शुल्क/प्रभार				
(i)	प्रक्रमण फीस		(ii)	बीमा शुल्क	
(iii)	कानूनी एवं मूल्यांकन शुल्क		(iv)	संपत्ति बीमा शुल्क	
(v)	दस्तावेज़ सत्यापन शुल्क		(vi)	दस्तावेज़ीकरण शुल्क	
(vii)	CERSAI के आरोप		(viii)	स्टांप पेपर शुल्क	
(ix)	अन्य कोई शुल्क (कृपया स्पष्ट करें)				
(x)	नवीनीकरण प्रक्रिया शुल्क	सीमा राशि का 0.40% + लागू कर	(xi)	समीक्षा-प्रसंस्करण शुल्क	सीमा राशि का 0.20% + लागू कर
(xii)	बकाया शुल्क	2% प्रति माह + लागू कर (बकाया राशि पर ही विलंब शुल्क लागू होगा)	(xiii)	प्रतिबद्धता शुल्क	न्यूनतम प्रतिबद्धता से कम (वर्तमान में 60%) अप्रयुक्त राशि पर 1% प्रति वर्ष का शुल्क।
(xiv)	समाप्त शुल्क	₹1,000 + लागू कर	(xv)	पूर्व-समाप्ति/गिरवी शुल्क	प्रतिबंध सीमा का 4% + लागू कर (यदि इसे किसी अन्य बैंक द्वारा अधिग्रहित किया जाता है)
(xvi)	वित्तीय शर्तों का अनुपालन न करना (यदि कोई हो)	₹1,000 + लागू कर	(xvii)	बीमा शुल्क में देरी	₹500 + लागू कर
(xviii)	बैंक का नोटिस शुल्क	प्रति नोटिस ₹100 + लागू कर	(xix)	डुप्लिकेट स्टेटमेंट शुल्क	₹100 + लागू कर
(xx)	कानूनी खोज रिपोर्ट शुल्क	₹100 + लागू कर	(xxi)	संशोधन शुल्क	बकाया राशि का 0.25%, अधिकतम ₹5,000 + लागू करों के अधीन।
(xxii)	रद्दीकरण शुल्क	₹5,000 + भुगतान की तारीख से लेकर रद्द करने के अनुरोध की प्राप्ति तक का ब्याज			

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

जिसको साक्षी मानकरपक्षकारों ने उपरोक्त उल्लिखित तिथि और वर्ष को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

a) कंपनी _____ की मुहर यहाँ निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार लगाई गई है, जो श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ कंपनी के निदेशक/निदेशकों की उपस्थिति में हुई थी, जिन्होंने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और श्री/श्रीमती _____ सचिव/अधिकृत व्यक्ति ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।	
b) साझेदारी/सीमित देयता साझेदारी उक्त उधारकर्ता के साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित 1. _____ 2. _____ 3. _____	
c) व्यक्तिगत / एकल स्वामित्व इस दस्तावेज़ में नामित उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। _____	
d) ट्रस्ट/सोसाइटी इस दस्तावेज़ में नामित उधारकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित _____	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

हस्ताक्षरित और वितरित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा,

श्रीमान

श्रीमती।_____

अनुसूची 1

अंतिम उपयोग घोषणा

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैंने/हमने दिनांक _____ के आवेदन/समझौते के माध्यम से _____ रुपये के _____ ऋण के लिए आवेदन किया है। उक्त ऋण/सीमा का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा:

1. [ ] व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
   a. कार्यशील पूंजी आवश्यकता
   b. ( ) व्यावसायिक उद्देश्य से लिए गए बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान
   c. ( ) वाणिज्यिक वाहन खरीद
   d. ( ) वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद/निर्माण
   e. ( ) नया व्यवसाय स्थापित करें
   f. ( ) संयंत्र एवं मशीनरी की खरीद

2. [ ] घरेलू खपत को पूरा करने के लिए:
   g. ( ) बच्चों का विवाह
   h. ( ) बच्चों की शिक्षा
   i. ( ) उपभोग प्रयोजन के लिए लिए गए बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान:-
   j. ( ) घर की मरम्मत और नवीनीकरण
   k. स्वयं या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी पर हुए व्यय
   l. ( ) धार्मिक समारोह का निष्पादन
   m. ( ) वाहन खरीद
   n. ( ) संपत्ति खरीद
   o. ( ) अन्य उद्देश्य कृपया स्पष्ट करें_____

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर _____

घोषणा

मैं/हम वचन देते हैं, पुष्टि करते हैं और सहमत होते हैं कि इस सुविधा के अंतर्गत निधि के उपयोग का उद्देश्य सुविधा की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से नहीं बदला जाएगा या उद्देश्य में ऐसा परिवर्तन केवल शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति से ही होगा।

ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर _____

बैंक की टिप्पणी: (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

_____ के उद्देश्य से _____ रुपये का एलएपी/एचएल स्वीकृत किया गया है, जिसे प्राथमिकता क्षेत्र/गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।

बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर _____

तारीख: _____

ऋण वितरण अनुरोध प्रपत्र (केवल सावधि ऋण के लिए लागू)

तारीख:

स्थान:

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैं/हम एतद्द्वारा आपसे अनुरोध करते हैं कि अनुसूची। दिनांक _____ में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मुझे/हमें स्वीकृत ऋण राशि _____ का वितरण निम्नलिखित तरीके से करें, जिसमें अनुसूची। (मुख्य तथ्य विवरण) में उल्लिखित लागू शुल्कों की राशि काट ली गई हो:

1) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से राशि डेबिट करें और आपके बैंक में मेरे एसबी/सीए/ओडी खाता संख्या _____ में _____ रुपये की राशि स्थानांतरित करें।

(और/या)

2) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से धनराशि डेबिट करें और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार NEFT/RTGS के माध्यम से इन धनराशि को स्थानांतरित करें:

राशि (रु.)		
खाताधारक का नाम		
बैंक का नाम		
शाखा का नाम		
खाता नंबर।		
आई०ऍफ़०एस० कोड		
खाते का प्रकार		
एमआईसीआर		

(और/या)

3) मेरे ऋण खाता संख्या _____ से धनराशि डेबिट करें और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जारी करें:

राशि (ओं)		
पक्ष में		
बैंक का नाम		
खाता संख्या		
देय		

मैं/हम ऋण राशि का उपयोग अनुसूची। और अंतिम उपयोग घोषणा में उल्लिखित उद्देश्य के लिए करेंगे/करेंगे। मैं/हम सहमत हैं कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करके ऋण राशि के वितरण की तिथि से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, और बैंक को ऐसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के भुगतान से कोई लेना-देना नहीं होगा।

ऋणकर्ता का नाम: _____ **ऋणकर्ता का हस्ताक्षर:** _____

सह-ऋणकर्ता का नाम: _____ **सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर:** _____

चेक (पीडीसी) जमा करने का फॉर्म *(केवल सावधि ऋण पर लागू)*

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड,

शाखा एवं शाखा का पता: _____

मैंने/हमने "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में निम्नलिखित क्रॉस किए गए (खाता प्राप्तकर्ता) पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) जमा किए हैं, जो मेरे/हमारे ऋण वितरण से संबंधित हैं, जिसका ऋण खाता संख्या _____ है। पीडीसी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	चेक नंबर		तारीख		चेकों की संख्या	बैंक और शाखा का नाम	ईएमआई/ बीपीआई/एसपीडीसी	मात्रा
	से	को	से	को				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								

	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
ऋण लेने वाला/वाले			
बैंक अधिकारी			

मांग वचन पत्र

मांग पर, मैं/हम, _____, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("ऋणदाता") या

उसके आदेशानुसार ₹_____ की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

(केवल _____ रुपये) आज की तारीख से ब्याज सहित, _____% प्रति वर्ष निश्चित/अस्थिर या ऐसी अन्य दर जो ऋणदाता समय-समय पर निर्धारित करे, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ और दैनिक/मासिक/त्रैमासिक आधार पर देय, प्राप्त मूल्य के लिए; आज की तारीख से भुगतान की तारीख तक।

ऋणकर्ता का नाम और हस्ताक्षर

सह-ऋणकर्ता(ओं) का नाम और हस्ताक्षर

जगह: _____

तारीख:_____

राजस्व स्टाम्प 1 रुपये का शुल्क लगाया जाना है।

ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता(ओं) को राजस्व समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। टिकट।

डीपी नोट डिलीवरी पत्र

को,

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

_____

_____

_____

(महाजन")

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया दिनांक _____ रुपये के संलग्न मांग वचन पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।_____(रुपये)___मेरे द्वारा ऋणदाता के पक्ष में जारी किए गए (डीपीएन)। मैं/हम एतद्द्वारा उपरोक्त डीपीएन को प्रस्तुत करने के अपने अधिकार का त्याग करता/करती हूँ। मैं/हम आपसे यह भी अनुरोध करता/करती हूँ कि आप ध्यान दें कि मैं/हम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 98(क) के अनुसार अनादर की सूचना देने से छूट प्राप्त करते/करती हैं, और यदि मेरे/हमारे द्वारा मांग किए जाने पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋणदाता मुझे दायित्व से मुक्त किए बिना मुझे/हमें भुगतान के लिए समय देने के लिए स्वतंत्र है (परन्तु बाध्य नहीं है)।

डीपीएन आपके लिए निरंतर सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा।उक्त ऋण/सीमा के तहत अब या भविष्य में बकाया अंतिम राशि या सभी बकाया राशियों के पुनर्भुगतान के लिए यह लागू होगा; और मैं/हम समय-समय पर उक्त ऋण/सीमा के खाते में किए गए भुगतान के बावजूद, उक्त ऋण/सीमा समय-समय पर कम या समाप्त हो सकती है या उक्त खाते का शेष क्रेडिट में हो सकता है, फिर भी डीपीएन पर उत्तरदायी बने रहेंगे।

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____

गारंटी का विलेख

यह गारंटीनामाबनाया गया है_____इस पर_____के दिन_____, 20_____ ("गारंटी**विलेख**") **द्वारा**

अनुसूची II में निर्दिष्ट व्यक्ति (जिन्हें इसके बाद "गारंटर/गारंटरों" कहा जाएगा, जिसमें वारिस, निष्पादक और अनुमत असाइनमेंट धारक शामिल होंगे, जैसा भी मामला हो) के पक्ष में**शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**,एकंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सैलकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, जसोला विहार, दिल्ली-110025 में स्थित है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता" कहा जाएगा, और इस शब्द का अर्थ, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों को भी माना जाएगा), जबकि दिनांक _____ ("ऋण/सीमा समझौता") के अनुसार, _____ ___ द्वारा निष्पादित ऋण/सीमा समझौते के अनुसार (जिसे इसके बाद "ऋणकर्ता" कहा जाएगा) ऋणदाता के साथ, ऋणदाता ने उधारकर्ता को अनुसूची I में निर्दिष्ट राशि (जिसे इसके बाद "ऋण/सीमा" कहा जाएगा) के लिए ऋण/सीमा अनुबंध में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, उसमें निर्दिष्ट और निहित नियमों और शर्तों पर ऋण/सीमा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

और चूंकि उक्त ऋण/सीमा समझौते में निर्दिष्ट और निहित शर्तों में से एक यह है कि उधारकर्ता, ऋणदाता को एक गारंटी प्रदान करेगा जो उधारकर्ता द्वारा ऋण/सीमा के संबंध में ब्याज, लागत, शुल्क, व्यय और/या ऋणदाता को देय अन्य राशियों (जिसे इसके बाद "गारंटीकृत राशि" कहा जाएगा) के भुगतान की गारंटी देती है।

और चूंकि गारंटर(ओं) ने उधारकर्ता के अनुरोध पर और ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता को उपर्युक्त ऋण/सीमा प्रदान करने के प्रतिफल में, ऋणदाता के पक्ष में इस गारंटी विलेख को निम्नलिखित शर्तों और तरीके से निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है।

अब यह अनुबंध इस बात का प्रमाण है कि उपरोक्त बातों के विचार में, इसके द्वारा निम्नलिखित रूप से अनुबंधित और सहमत हुआ जाता है:

1. ऋण लेने वाले का दायित्व है कि वह ऋणदाता को गारंटीकृत राशि का भुगतान करे।
2. यदि किसी भी समय उधारकर्ता उपर्युक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि का भुगतान करने में चूक करता है, तो गारंटर (गारंटर) मांग किए जाने पर, बिना किसी आपत्ति या विरोध के, ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि का भुगतान बिना किसी शर्त के और अपरिवर्तनीय रूप से करेगा और उधारकर्ता की चूक के कारण ऋणदाता को होने वाली सभी हानियों के लिए ऋणदाता को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और उसे क्षतिपूर्ति से मुक्त रखेगा। गारंटर ऋणदाता द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऋण/सीमा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी सहमत है।
3. भुगतान में देरी होने पर, गारंटर (गारंटर) इस बात की पुष्टि करता है कि वह उधारकर्ता और ऋणदाता द्वारा सहमत अतिरिक्त ब्याज (जैसा कि ऋण/सीमा समझौते में परिभाषित है) सहित देय राशि का भुगतान करेगा।
4. इसमें निहित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए, ऋणदाता को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार कार्य करे मानो गारंटर (गारंटर) ऋणदाता के प्रमुख देनदार हों।
5. ऋण/सीमा समझौते और ऋण/सीमा से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों (सामूहिक रूप से "लेनदेन दस्तावेज" कहा जाता है) के तहत ऋणदाता के अधिकारों के बावजूद, ऋणदाता को उपरोक्त ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय गारंटीकृत राशि का भुगतान करने के लिए गारंटर(कों) को बुलाने की पूरी स्वतंत्रता होगी, इसके लिए उसे उधारकर्ता से ऋण/सीमा के संबंध में ऋणदाता को देय राशि की वसूली करने और/या ऋणदाता के पास उपलब्ध किसी भी उपाय या सुरक्षा को लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।
6. यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच किसी भी विवाद के बावजूद, गारंटर (गारंटरों) के विरुद्ध लागू करने योग्य होगी।
7. गारंटर यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी गई कोई भी बकाया राशि की पुष्टि, ऋण की स्वीकृति, दायित्व की स्वीकृति, वादा या आंशिक भुगतान, गारंटर द्वारा या उनकी ओर से किया गया माना जाएगा और उन पर बाध्यकारी होगा। उधारकर्ता, अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अतिरिक्त, परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 और 19 के प्रयोजन के लिए गारंटर के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाला माना जाएगा।
8. गारंटर/गारंटर एतद्द्वारा सहमत हैं कि लेन-देन दस्तावेजों की शर्तों में किए गए किसी भी परिवर्तन, ब्याज दर में परिवर्तन, ऋण/सीमा के पुनर्भुगतान की तिथि में विस्तार (यदि कोई हो), ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच उधारकर्ता को मुकदमा करने के लिए समय देने या न करने हेतु किए गए समझौते, उधारकर्ता से प्राप्त सुरक्षा में परिवर्तन या वृद्धि, या ऋणदाता द्वारा उधारकर्ता द्वारा दी गई सुरक्षा को वापस लेने के बावजूद, गारंटर/गारंटर इस गारंटी विलेख के अंतर्गत अपने दायित्व से मुक्त या बरी नहीं होंगे।
9. गारंटर(ओं) एतद्द्वारा सहमत और पुष्टि करता है कि ऋणदाता को गारंटर(ओं) के खाते में या उनके लाभ के लिए ऋणदाता द्वारा धारित सभी धनराशि को गारंटर(ओं) के दायित्व के निर्वहन और संतुष्टि के लिए समायोजित या समायोजित करने का अधिकार होगा।
10. गारंटर इस बात से सहमत है कि यदि उधारकर्ता दिवालिया हो जाता है, तो ऋणदाता (गारंटर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऋण/सीमा से संबंधित पूरी या आंशिक राशि का भुगतान किए जाने के बावजूद) गारंटर से गारंटीकृत राशि की पूरी वसूली कर सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, गारंटर इसकी सूचना ऋणदाता को लिखित रूप में तुरंत देगा।
11. यह गारंटी ऋणदाता द्वारा ली गई सुरक्षा से स्वतंत्र और भिन्न है, और गारंटर ने यह गारंटी इस समझ, विश्वास या धारणा के आधार पर नहीं दी है कि ऋणदाता ने ऐसी कोई सुरक्षा ली है और/या भविष्य में ले सकता है, और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 140 और 141 या उस अधिनियम की किसी अन्य धारा या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के बावजूद, गारंटर ऋणदाता द्वारा किसी भी कारण से, जिसमें उसकी चूक और लापरवाही के कारण भी शामिल हैं, सुरक्षा को लागू करने में विफलता के कारण किसी भी हद तक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने का दावा नहीं करेगा।
12. इस गारंटीनामा के अंतर्गत दी गई प्रत्येक सूचना, मांग या अन्य संचार लिखित रूप में होना चाहिए और नीचे दिए गए पते या फैक्स नंबर पर संबंधित पक्ष को भेजा जाना चाहिए। संबंधित पक्ष को संबोधित कोई भी सूचना, मांग या अन्य संचार प्राप्त माना जाएगा।

(i) यदि व्यक्तिगत रूप से या कूरियर द्वारा वितरित किया जाता है, तो वितरणकर्ता द्वारा वितरण का प्रमाण प्राप्त किए जाने पर;

(ii) यदि डाक द्वारा एक ही देश के भीतर भेजा जाता है, तो डाक भेजने के दूसरे दिन और यदि डाक द्वारा किसी अन्य देश में भेजा जाता है, तो डाक भेजने के बीसवें दिन;

(iii) यदि फैक्स द्वारा भेजा या भेजा गया हो, तो प्रेषण होने पर और उपरोक्त प्रेषण की पुष्टि करने वाली प्रेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर;

(iv) यदि ईमेल द्वारा दिया या भेजा गया हो, तो प्रेषक द्वारा भेजे जाने के बाद और प्राप्तकर्ता(ओं) को पहुंचाए जाने के बाद; और

(v) यदि सूचना प्रेषण तिथि से 4 (चार) दिनों के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाती है। उपरोक्त सूचना के प्रेषण के बाद, सूचना भेजने वाला पक्ष ऋण/सीमा समझौते की अनुसूची I में उल्लिखित पते पर प्राप्तकर्ता पक्ष को पूरी सूचना की सामग्री ईमेल द्वारा भी भेजेंगे।

13. यह गारंटीनामा भारत के कानूनों के अनुसार शासित होगा और ऋणदाता की संबंधित शाखा/कार्यालय जिस शहर में स्थित है, उस शहर के सक्षम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
14. उपरोक्त खंड 13 के प्रावधान केवल ऋणदाता के लाभ के लिए हैं। परिणामस्वरूप, ऋणदाता को किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में विवाद से संबंधित कार्यवाही करने से नहीं रोका जाएगा। कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ऋणदाता किसी भी संख्या में क्षेत्राधिकारों में एक साथ कार्यवाही कर सकता है।
15. इस गारंटी विलेख का कोई भी प्रावधान जो लागू क्षेत्राधिकार में निषिद्ध या अप्रवर्तनीय है, उस क्षेत्राधिकार के संबंध में निषेध या अप्रवर्तनीयता की सीमा तक अप्रभावी होगा, लेकिन इससे इस गारंटी विलेख के शेष प्रावधान अमान्य नहीं होंगे।

अनुसूची II

गारंटर का विवरण						
1.	[ ] कंपनी	**[ ] साझेदारी**	**[ ] सीमित देयता भागीदारी**	**[ ]समाज**	**[ ] ट्रस्ट**	**[ ] एकल स्वामित्व**
ए।	नाम					
बी।	पंजीकृत कार्यालय का पता					
सी।	कंपनी पहचान संख्या (यदि कंपनी है)					
डी।	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ई.	सभी के नाम, **[ ] निदेशक** **[ ] साझेदार** **[ ] सदस्य** **[ ] एकमात्र स्वामी**					
एफ।	वह क़ानून जिसके तहत गारंटर का निगमन हुआ था	**[ ] कंपनी**- कंपनी अधिनियम, 1956 / कंपनी अधिनियम, 2013 **[ ] साझेदारी**- भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 **[ ] सीमित देयता भागीदारी**- सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 **[ ] समाज**- समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 / सहकारी समिति अधिनियम **[ ] ट्रस्ट**- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882				
2.	यदिगारंटरएक व्यक्ति है					
ऐ.i	नाम					
ए.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
ए.iii	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
ए.iv	निवास का पता					
बी.i	नाम					
बी.ii	का पुत्र / की पुत्री / की पत्नी					
बी.iii	व्यवसाय स्थल/शाखा कार्यालय/संचार कार्यालय का पता					
बी.iv	निवास का पता					
3.	अन्य किसी भी मामले में, नाम, पता और अन्य विवरण					
4	ऋणकर्ता और गारंटर के बीच संबंध					

ऋणकर्ता के हस्ताक्षर _____ सह-ऋणकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर _____

जिसको साक्षी मानकरउपरोक्त गारंटर(कों) ने उपरोक्त में उल्लिखित तिथि और वर्ष को इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं।

a) कंपनी _____ की मुहर यहाँ निदेशक मंडल द्वारा _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार लगाई गई है, जो श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ कंपनी के निदेशक/निदेशकों की उपस्थिति में हुई थी, जिन्होंने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं और श्री/श्रीमती _____ सचिव/अधिकृत व्यक्ति ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए हैं।	
b) साझेदारी/सीमित देयता साझेदारी इस दस्तावेज़ पर नामित गारंटर के साझेदारों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और इसे वितरित किया गया है। 1. _____ 2. _____ 3. _____	
c) व्यक्तिगत/एकल स्वामित्व इस दस्तावेज़ में नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। _____	
d) अन्य किसी भी मामले में इस दस्तावेज़ में नामित गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित। _____	

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
हस्ताक्षरित और वितरित अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा,

_____

SHIVALIK

Shivalik Small Finance Bank

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, 2nd और 3rd मंजिल, ऐड इंडिया टावर, प्लॉट नंबर-ए-6ए, सेक्टर 125, नोएडा, उत्तर प्रदेश